



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224752
CG-DL-E-28012021-224752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

मामला सं. एडीडी-(ओआई) 05/2020

विषय : चीन जन. गण., मलेशिया और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पाउडर रूप में ब्लैक टोनर” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच परिणाम।

फा. सं. 6/6/2020-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. मै. प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. और मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लि. (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं

संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण., मलेशिया और ताइवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “पाउडर रूप में ब्लैक टोनर” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु, विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या ब्लैक टोनर भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई थी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनराधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. नियमावली के नियम 12 के अनुसरण में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण., मलेशिया और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 18 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए। अनंतिम पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 22/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे।

ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 फरवरी, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी तथा उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:

- (i) हुबेई फॉर ईस्ट, चीन जन. गण.
- (ii) वुहान प्वाइंट रोल, चीन जन. गण.
- (iii) हंडान हैंगुआंग, चीन जन. गण.
- (iv) वुक्सी जियाटिंग, चीन जन. गण.
- (v) डियांगलॉग, चीन जन. गण.

- (vi) नानजिंग टेसाइन, चीन जन. गण.
- (vii) कोमेट, चीन जन. गण.
- (viii) वुहान ताइवान टोनर एंड डेवलपर लिमिटेड, चीन जन. गण.
- (ix) जद्दी, मलेशिया
- (x) टीआई, ताइवान

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी:

- (i) वेदिका कंप्यूटर प्रा. लि.
- (ii) डाटालिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन
- (iii) अतुल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
- (iv) कार्टरिडगेवाला डॉट कॉप
- (v) कॉपीटर्न टेक्नोलॉजी
- (vi) इंद्रियानी सेल्स प्रा. लि.
- (vii) वेस्ट मेगा इंटरनेशनल
- (viii) सुमंगलम इंटरनेशनल प्रा. लि.
- (ix) रेंक ऑफिस ऑटोमेशन प्रा. लि.
- (x) इमेज स्टार प्रिंट सोल्यूशन प्रा. लि.

ज. प्राधिकारी ने अनुरोध करने पर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (ईक्यूआर) प्रस्तुत करने के लिए अनेक बार समय बढ़ाया था। प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जून, 2020 थी। तथापि, समय बढ़ाते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

झ. उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

चीन जन. गण.

- क. तियानजिन झोंघुआन टीसीओए इलेक्ट्रॉनिक्स कं. लि.
- ख. एचजी टेक्नोलॉजीस कं. लि.
- ग. हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि.

ताइवान

- a. ट्रेड टोन इमेजिन इंक.
- ब. उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर/कानूनी अनुरोध दायर किए:
 - क. इंद्रयाणी सेल्स प्रा. लि.
 - ख. अल्फाबेट इमेजिंग टेक्नोलॉजीस एलएलपी
 - ग. इंडिगो प्रिंट्स स्मार्ट प्रा. लि.
 - घ. डाटालिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन

- ड. सुमनमंगलम इंटरनेशनल
- च. सुमनमंगलम इंटरनेशनल प्रा. लि.
- छ. रॉयल रिबन्स एंड शेल्स प्रा. लि.
- ज. इमेज स्टार प्रिंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि.
- ट. निम्नलिखित एसोसिएशन ने भी क्षति संबंधी अनुरोध दायर किए हैं:
 - क. चीन कल्चर एंड ऑफिस इक्विपमेंट एसोसिएशन (सीसीओईए) (निर्यातक एसोसिएशन)
 - ख. कम्प्यूटर मीडिया डीलर एसोसिएशन (आयातक एसोसिएशन)
- ठ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश तथा अद्यतन आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों के लिए अनुरोध करने पर उपलब्ध रखा था।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ढ. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक (9 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019 और पीओआई की अवधि मानी गई है।
- त. इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साक्ष्य से समर्थित सीमा तक किए गए और वर्तमान जांच से संगत माने गए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- ध. प्राधिकारी ने 18 जून, 2020 को प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए। प्राथमिक जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी ने उस पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं और प्राथमिक निर्धारण पर हितबद्ध पक्षकारों के संगत विचारों पर इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- न. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 06 जनवरी, 2021 को आयोजित डिजिटल वीडियो सुनवाई के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी अवसर प्रदान किया। जिन पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, उन सभी को लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर, यदि कोई है, दायर करने का भी अवसर प्रदान किया गया था।

- प. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का सत्यापन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन किया गया था। आवश्यक संशोधन, जहां कहीं लागू था, के साथ उस सत्यापन सूचना पर ही इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- फ. इन अंतिम जांच परिणामों में “****” हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- ब. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 22 जनवरी, 2021 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उस पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्राप्त टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- भ. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.22 रुपए है।

ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

5. जांच शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:
- क. विचाराधीन उत्पाद पाउडर रूप में ब्लैक टोनर है। टोनर का प्रयोग कागज पर मुद्रित पाठ और चित्र के रूप में लेजर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, डिजिटल मल्टी फंक्शन डिवाइस (एमएफडी) आदि में किया जाता है।
- ख. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण 37079010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, पीयूसी का आयात 37079090 कोड के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- ग. निम्नलिखित टोनर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।
- (i) कलर टोनर
 - (ii) एमआईसीआर टोनर (चैकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)
 - (iii) मुद्रण उपकरणों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
 - (iv) काट्रेज में टोनर
 - (v) तरल रूप में टोनर
6. प्राधिकारी ने अपने प्राथमिक जांच परिणामों में, अनंतिम रूप से यह माना कि संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामान और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामान समान वस्तु हैं और तदनुसार जांच की शुरुआत में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के अनुसार सभी संबद्ध सामानों पर अनंतिम शुल्क की सिफारिश की गई थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कई हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क रखे गए हैं। अतः निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की जांच प्राधिकारी के समक्ष रखे गए सभी वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित रूप में की गई है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- क. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पाउडर रूप में ब्लैक टोनर है। इसका प्रयोग कागज पर मुद्रित पाठ और चित्र के रूप में लेजर प्रिंटर, फोटो कॉपियर, डिजिटल मल्टी फंक्शन डिवाइस (एमईडी) आदि में किया जाता है।
- ख. निम्नलिखित टोनर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।

- (i) कलर टोनर
- (ii) एमआईसीआर टोनर (चैकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)
- (iii) मुद्रण उपकरणों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
- (iv) काट्रेज में टोनर
- (v) तरल रूप में टोनर

ग. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 37 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 37079010 है तथापि, आयात आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु को 37079090 एचएस कोड के अंतर्गत भी आयात किया गया था।

घ. आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने उन कुछ आधारों का उल्लेख किए बिना विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध सामानों के कुछ ग्रेडों को हटाए जाने का दावा किया है जिन पर उन्हें हटाए जाने की मांग की गई है अथवा उन दावों के लिए कोई आधार अथवा साक्ष्य दिए बिना दावा किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि चूंकि संबंधित पक्षकारों द्वारा कोई संगत सूचना/साक्ष्य नहीं दिया गया है, अतः जांचों के इस स्तर पर उनके दावों पर विचार नहीं किया जा सकता।

8. घरेलू उद्योग अन्य सभी उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री करता है, सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा, जांच की शुरुआत की अधिसूचना में पहले ही हटाए गए उत्पादों को छोड़कर उन्हें हटाए जाने की मांग की गई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न उत्पाद, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे नहीं जा रहे हैं, केवल संबंधित ब्रांडों के आधार पर नाम के संदर्भ में भिन्न हैं। हितबद्ध पक्षकार अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान करने में भी विफल रहे हैं कि उपर्युक्त उत्पाद अथवा उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पादों के तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार कोई तकनीकी विशिष्टियां देने में विफल रहे हैं और अंतिम प्रयोग में कोई अंतर सिद्ध करने में विफल रहे हैं जो उत्पादों को हटाए जाने के योग्य बने। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उन्हें हटाए जाने के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत ही नहीं हैं बल्कि इस संबंध में उपलब्ध निर्धारित न्याय क्षेत्राधिकार के विरुद्ध भी हैं।

9. हितबद्ध पक्षकारों ने गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतरों के आधार पर कुछ ग्रेडों को हटाए जाने का भी दावा किया है। गुणवत्ता संबंधी अंतर का तर्क बेकार है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उच्चतम मानकों के हैं और भारतीय बाजार में उन्हें पूर्णतः स्वीकार्य माना गया है। पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि किसी भी दशा में उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता किसी पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद परिभाषित करने के लिए संगत मानदंड नहीं है। ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:

"5..... [टी] यह अनुरोध कि आयातित सामान भिन्न प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित किए जाते हैं और यह कि आयातित सामान गुणवत्ता में भिन्न हैं, जांच परिणाम को अवैध नहीं करते। विनिर्माण की प्रक्रिया पाटनरोधी कानूनी के तहत एक संगत कारक नहीं है। गुणवत्ता अंतर भी वास्तविक नहीं है। आयातित सामान और घरेलू रूप से उत्पादित सामानों का समान प्रयोग है और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा "समान वस्तु" सही-सही माना गया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों में इन अपीलों में किए गए अनुरोधों का कोई औचित्य नहीं है। अपील विफल है और रद्द की जाती है।" [जोर शामिल किया गया]

10. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में पीसीएन सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता का तर्क दिया है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं कि विभिन्न ग्रेडों में "काफी" लागत और कीमत संबंधी अंतर हैं। आयातकों ने घरेलू उद्योग के बीजक पर विश्वास किया है जो दो किस्मों की बिक्री कीमत में 15-18 प्रतिशत का अंतर दर्शाते हैं। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाए कि अकेली बिक्री कीमत पर पीसीएन सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता के पर्याप्त कारण के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। यह अनुरोध है कि

घरेलू उद्योग के एक बीजक पर विश्वास करते समय ये आयातक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में विफल रहे जिनसे किसी पीसीएन सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता का औचित्य बन सकता है।

क. दो ग्रेडों की लागत में काफी अंतर;

ख. गुणवत्ता के आधार पर दो किस्मों की बिक्री कीमतों में अंतर (कम कीमत वाले सामान उच्चतर कीमत की मदों से 300 प्रतिशत तक भारी मात्रा में खरीदे जाते हैं)।

ग. इन किस्मों की मालसूची लागत (तेजी से चलने वाली मदों का कम भंडारण और मालसूची लागत होती है और इस प्रकार वे कम चलने वाली/विशेषीकृत मदों से हमेशा सस्ती होती हैं)।

11. विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों के बीच कोई खास कीमत अथवा लागत संबंधी अंतर नहीं है जिससे पीसीएन-वार तुलना अपनाने की आवश्यकता बने।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. परिभाषित विचाराधीन उत्पाद में परस्पर उत्पाद किस्मों की व्यापक रेंज शामिल है जिनमें लागत और कीमत के संदर्भ में काफी अंतर है। उत्पाद किस्मों में इन अंतरों को लेने के लिए विचाराधीन उत्पाद की किस्मों की पीसीएन-वार तुलना वर्तमान मामले में पाटन एवं क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए बहुत अनिवार्य है। घरेलू उद्योग द्वारा जिन विचाराधीन उत्पाद की किस्मों का उत्पादन नहीं किया जाता है और/अथवा जिन किस्मों के लिए कोई सीधा प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है, उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

13. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ब्लैक टोनर उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उत्पादित नहीं किया जाता है और गुणवत्ता में घटिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है:

क. यह नोट किया गया है कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने उन कुछ आधारों का उल्लेख किए बिना विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध सामानों के कुछ ग्रेडों/किस्मों को हटाए जाने का दावा किया है जिनके आधार पर उन्हें हटाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए और साथ ही, उन मदों के लिए कोई आधार अथवा साक्ष्य दिए बिना दावा किया गया है। अतः प्राधिकारी उन्हें हटाए जाने के लिए उनके दावों में कोई औचित्य नहीं पाते।

ख. गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के कारण जांच के क्षेत्र से कुछ ग्रेडों को हटाए जाने के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों के दावों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रिया में अंतर उत्पाद के किसी ग्रेड को हटाए जाने के लिए मानदंड नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों का अंतिम प्रयोग समान है। ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट ने माना था कि विनिर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता पाटनरोधी कानून के तहत संगत कारक नहीं है और तदनुसार आयातित सामानों और घरेलू रूप से उत्पादित सामानों का "समान वस्तु" के रूप में समान प्रयोग होने पर मानते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय को माना था।

ग. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन सिद्धांत अपनाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न ग्रेडों/किस्मों में लागतों और कीमतों के बीच काफी अंतर दर्शाने के साक्ष्य नहीं दिए हैं। पीसीएन सिद्धांत की आवश्यकता केवल उन मामलों में होती है जहां विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कई ग्रेड और रूप हों तथा इन ग्रेडों एवं रूपों के बीच काफी लागत एवं कीमत संबंधी अंतर हो। तदनुसार, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद, वर्तमान जांच में पीसीएन-वार विश्लेषण न करना उपयुक्त पाया गया है।

घ. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। यह नोट किया जाता है आयातित और घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

ड. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “पाउडर रूप में ब्लैक टोनर” है।

च. निम्नलिखित प्रकार के टोनर जांच के दायरे में नहीं आते हैं।

(i) कलर टोनर

(ii) एमआईसीआर टोनर (चैकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर)

(iii) मुद्रण उपस्करों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर

(iv) काट्रेज में टोनर

(v) तरल रूप में टोनर

(ग) विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 37 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 37079010 है। तथापि, यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का 37079090 एचएस कोड के अंतर्गत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

क. आवेदक मै. प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. तथा मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं। भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

ख. आवेदकों ने संबद्ध देशों से अथवा संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

ग. आवेदकों का पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। इस प्रकार आवेदक पीयूसी के कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा रखते हैं और तदनुसार नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं।

घ. घरेलू उद्योग ने अपने मूल आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना सहित विधिवत घोषणा दायर की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मैसर्स प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. के संबद्ध पक्षकार ने चीन, जन. गण. से संबद्ध सामानों की बहुत कम और अपर्याप्त मात्राओं में निर्यात किया है। घरेलू उद्योग को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने अथवा नियम 2(ख) के अनुसार न मानने का पूर्ण विवेकाधिकार नियम 2(ख) की सांविधिक भाषा के अनुसार तथा निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्राधिकारी में निहित है। अतः इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क किसी वास्तविक अथवा कानूनी आधार से विहीन हैं और इस प्रकार रद्द किए जाने हैं।

ड. किसी भी दशा में प्योर टोनर्स की पात्रता अथवा अपात्रता से वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं होगा। स्वीकार्य रूप से देश में संबद्ध सामानों के केवल दो उत्पादक हैं। चूंकि दोनों घरेलू उत्पादक

वर्तमान जांच में आवेदक हैं, अतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों का किसी भी तरह मामले पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा।

च. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क उठाया है कि चूंकि दो कंपनियों अर्थात् प्योर टोनर और मैसर्स कॉपी स्टार इंडिया प्रा. लि. के लिए एक ही निदेशक है, अतः मैसर्स कॉपी स्टार इंडिया प्रा. लि. कानूनी रूप से प्योर टोनर द्वारा नियंत्रित होता है। इस दावे का वर्तमान जांच में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि प्योर टोनर और मैसर्स कॉपी स्टार इंडिया प्रा. लि. के बीच संबंध वर्तमान जांच में विरोधी भी नहीं है। यह बात दोहराई जाती है कि प्योर टोनर्स ने अपने आवेदन पत्र के दौरान पहले ही प्रकट किया है कि उसके संबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद की बहुत कम मात्राओं का आयात किया है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के ये अनुरोध इस मामले में अवास्तविक हैं क्योंकि वे इस मुद्दे के तथ्यों से संबंधित नहीं हैं। वास्तविक रूप से दो पक्षकार पाटनरोधी नियमावली, न्याय क्षेत्राधिकार और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों के संदर्भ में संबद्ध भी नहीं है। आवेदक ने अत्यधिक पूर्व सावधानी और पूर्ण तथा उचित प्रकटन के मामले के रूप में ही एक ही निदेशक वाले पक्षकार द्वारा बहुत कम आयातों के तथ्य का उल्लेख किया था।

छ. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन में अन्य भारतीय उत्पादक लगे हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि किसी उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों का विनिर्माण अथवा बिक्री की है। घरेलू उद्योग पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत भ्रामक विवरणों का उल्लेख करना चाहेगा। कुछ पक्षकारों ने उल्लेख किया है कि हैदराबाद में शेशिन एडवांस्ड मैटेरियल टेक्नोलॉजीस भारत में दूसरा उत्पादक है, परंतु घरेलू उद्योग ने यह पाया है कि वह कंपनी सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार खनन और उत्खनन में लगी हुई है। इस प्रकार, पक्षकारों ने नवरन एडवांस्ड नैनोटेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट इंटरनेशनल प्रा. लि., धमांदरी, ऊना, हिमाचल प्रदेश को भी सूचीबद्ध किया था जो रासायनिक कलर टोनर्स का विनिर्माण और आयात करती है जो कि ऐसा उत्पाद है जिसे आवेदन पत्र के स्तर से ही वर्तमान जांच के क्षेत्र से अलग किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

16. याचिकाकर्ता प्योर टोनर्स एंड डेवलेपर्स लि. ने स्वीकार किया कि उनकी संबद्ध कंपनी अर्थात् मैसर्स कॉपी स्टार इंडिया लि. ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की "बहुत कम" मात्रा का आयात किया था और इस दावे की सख्ती से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

17. भारत में संबद्ध आयातों में उन आयातों के हिस्से, संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन और भारत में मांग की गई विस्तृत जांच बेहतर तरीके से इन आयातों का महत्व सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए तथा भारत में कुल आयातों के रूप में इन आयातों की जांच भ्रामक होगी।

18. भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन में अन्य भारतीय उत्पादक लगे हुए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. नियमावली का नियम 2(ख) निम्नानुसार है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

20. यह नोट किया जाता है कि मै. प्योर टोनर एंड डेवलेपर्स प्रा. लि. तथा मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलेपर्स लि. द्वारा आवेदन दायर किया गया है। आवेदकों ने सूचित किया है कि वर्तमान में भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

21. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के संबंध में कि मैसर्स प्योर टोनर्स को नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके एक संबद्ध पक्षकार ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, प्राधिकारी नोट

करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र में इस संबंध में ब्यौरे दिए हैं। मैसर्स प्योर टोनर्स एंड डेवलेपर्स प्रा. लि. से जुड़े आयातक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की बहुत कम मात्राओं (संबद्ध देश से आयातों का *** प्रतिशत और घरेलू उद्योग के उत्पादन का *** प्रतिशत) में आयात किया था। अतः आयातों की बहुत कम मात्रा को ध्यान में रखने के बाद, प्राधिकारी ने मैसर्स प्योर टोनर्स एंड डेवलेपर्स प्रा. लि. को नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के लिए पात्र उत्पादक के रूप में विचार करने का निर्णय लिया है।

22. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि शेशिन एडवांस्ड मैटेरियल टेक्नोलॉजीस, नवरन एडवांस्ड नैनोटेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट इंटरनेशनल प्रा. लि. जैसे अन्य भारतीय उत्पादक हैं जो भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में, यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य नहीं दिये हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य दिये हैं कि शेशिन एडवांस्ड मैटेरियल टेक्नोलॉजीस खनन और उत्खनन के क्रियाकलाप में लगी हुई है जबकि नवरन एडवांस्ड नैनोटेक्नोलॉजी डेवलेपमेंट इंटरनेशनल प्रा. लि. कलर टोनर का विनिर्माण और निर्यात करती है जिसे कि आदितः संबद्ध सामानों के क्षेत्र से अलग किया गया है।

23. आवेदकों के पास कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है और यह प्रमुख हिस्सा बनता है। यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों से किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

24. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं।

ड. विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन कल्चर एंड ऑफिस इक्विपमेंट एसोसिएशन (सीसीओईए) को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता। नियम 2(ग) में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि केवल उसी एसोसिएशन को "हितबद्ध पक्षकार" माना जा सकता है जहां उसके अधिकतर सदस्य "उस समान वस्तु" के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हों। अतः उसी एसोसिएशन को जांचों में हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है और केवल तब यदि वह प्राधिकारी के संतोष के लिए सिद्ध हो कि उस एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य संबद्ध सामानों के या तो आयातक हैं अथवा उत्पादक। यह नोट करना व्यावहारिक है कि संबंधित एसोसिएशन की कुल सदस्यता के संदर्भ में अधिकतर परीक्षण लागू किया जाना होता है।

26. सीसीओईए ने यह दर्शाते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वे हितबद्ध पक्षकार माने जाने के लिए नियम 2(ग)(i) में निर्धारित पूर्व शर्त को पूरा करते हैं। सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सीमित सूचना के अनुसार सीसीओईए के अधिकतर सदस्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उस पक्षकार द्वारा अपनी पात्रता दर्शाने के लिए कोई सबूत अथवा औचित्य नहीं दिया गया है। उपर्युक्त एसोसिएशन द्वारा ऐसे किसी तर्क के अभाव में, हितबद्ध पक्षकार के रूप में उनके स्तर और उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह नोट करना व्यावहारिक है कि उपर्युक्त एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार उनके 200 से अधिक ग्रुप सदस्य हैं, जबकि उन्होंने अपने 6 सदस्यों की ओर से ही प्राधिकार दायर किया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपर्युक्त एसोसिएशन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग)(i) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार माने जाने के लिए पात्र नहीं है।

27. घरेलू उद्योग ने इस तथ्य की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए दिनांक 07.04.2020 के ई-मेल द्वारा प्राधिकारी को सूचित किया था कि आवेदन पत्र की एनसीवी चीन कल्चर एंड ऑफिस इक्विपमेंट एसोसिएशन (सीसीओईए) द्वारा नियम 2(ग)(i) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपनी पात्रता के संबंध में प्राधिकारी को संतुष्ट किए बिना मांगी गई है।

28. घरेलू उद्योग इस बात को दोहराते हैं कि साक्ष्य को एक तरफ छोड़ दें तो भी यह सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त एसोसिएशन ने कोई प्रकथन नहीं दिया है कि वे उपर्युक्त नियम के अनुसार हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्र हैं। उन्होंने अपने सभी सदस्यों की पूरी सूची भी प्रस्तुत नहीं की है ताकि माननीय प्राधिकारी इस तथ्य के बावजूद हितबद्ध पक्षकार के रूप में उनका स्तर सुनिश्चित कर सकें कि उत्तरदाता एसोसिएशन तथा उनके कानूनी प्रतिनिधि पाटनरोधी नियमावली में निहित

अपेक्षा से सुविदित हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, हम प्राधिकारी से उपर्युक्त एसोसिएशन के अनुरोधों को रिकॉर्ड में न लेने का अनुरोध करते हैं क्योंकि वे अपने सभी सदस्यों से संबंधित सूची/सूचना देने और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग)(i) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार बनने के अपने दावे का पूरा औचित्य देने में विफल रहे हैं।

29. निम्नलिखित पक्षकारों (आयातकों) ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनसीवी प्रपत्र के अनुसार उत्तर नहीं दिया है। तदनुसार, इन हितबद्ध पक्षकारों (आयातकों) के उत्तरों को स्वीकार न किया जाए:

- a) मैसर्स डाडा लिंक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन
- b) मैसर्स सुमनमंगलम इंटरनेशनल
- c) मैसर्स इमेज स्टार प्रिंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि.
- d) मैसर्स अल्फाबेट इमेजिंग टेक्नोलॉजीस एलएलपी
- e) मैसर्स रॉयल रिबन्स एंड शेल्स प्रा. लि.
- f) मैसर्स इंडिगो प्रिंट्स स्मार्ट प्रा. लि.
- g) सुमनमंगलम इंटरनेशनल प्रा. लि.

30. मैसर्स तियानजिन सिंथेटिक मैटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कं. लि. (चीन) ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। अतः मैसर्स तियानजिन सिंथेटिक मैटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कं. लि. (चीन) को सहयोगी निर्यातक नहीं माना जा सकता।

31. उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न व्यापार सूचनाओं के तहत दिए गए निर्देशों के साथ पठित नियम 7 के प्रावधानों का पालन करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों ने बिना किसी उचित औचित्य के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। तदनुसार, हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे हितबद्ध पक्षकारों के उत्तरों के समुचित अगोपनीय रूपांतर के अभाव में उनके उत्तर को रद्द करें।

32. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि 12 माह की अवधि के बजाए जांच की अवधि के रूप में 9 माह की अवधि मानना त्रुटिपूर्ण है। अनुरोध है कि कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो प्राधिकारी को जांच की अवधि के रूप में 12 माह से कम लेने से रोके। प्राधिकारी ने उपर्युक्त अवधि में संबद्ध देशों द्वारा गहन पाटन के मद्देनजर जांच की अवधि के रूप में 6 माह का प्रस्ताव किया। तथापि, प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के विचार के लिए अधिक अवधि लेने के मद्देनजर जांच की अवधि के रूप में 9 माह की अवधि मानने का निर्णय लिया।

33. यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच 10.02.2020 को शुरू की गई थी। अतः 31.12.2020 को समाप्त अवधि प्राधिकारी को जांच की शुरुआत करते समय उपलब्ध सबसे हाल की अवधि थी। 12 माह से कम की जांच की अवधि पर विचार करने के लिए कारण देने की आवश्यकता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस तथ्य के मद्देनजर भी अवैध है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित संशोधित कानून वर्तमान जांच की शुरुआत के बाद अस्तित्व में आया।

34. हितबद्ध पक्षकारों ने खुद ही स्वीकार किया है कि पूर्ण प्रश्नावली के उत्तर निर्धारित समय के भीतर दायर करने में विलंब था और उसके लिए उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कई बार समय बढ़ाए के अनुरोध किए गए थे और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए प्राधिकारी द्वारा समय दिया गया था।

35. यह नोट करना व्यावहारिक है कि प्राधिकारी ने 20.05.2020 की समय विस्तार सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि "प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत देने का अधिकार है।" तथापि, किसी भी पक्षकार ने उस पर आपत्ति नहीं की। प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए अंतिम बढ़ाई गई तारीख 10.06.2020 थी। प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच परिणाम 18.06.2020 को जारी किए गए थे। प्राधिकारी के लिए 07 दिन के दिए गए समय में हितबद्ध पक्षकारों के सभी प्रश्नावली के उत्तरों की जांच करना संभव नहीं था। अतः अंतिम रूप से बढ़ाई गई अंतिम तारीख के आसपास दायर किए गए हितबद्ध पक्षकारों के सभी अनुरोधों को ध्यान में रखे बिना प्राथमिक जांच परिणाम जारी करना उचित व्यवहार के सिद्धांतों के अनुसार था।

36. प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 28 में यह नोट किया गया है कि मलेशिया और ताइवान से निर्यातक प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ट्रेड टोन, ताइवान के प्रश्नावली के उत्तर का प्रस्तुत होना जांच के देरी के स्तर पर प्रतीत होता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे ट्रेड टोन इमेजिंग इंक. ताइवान (निर्यातक) को सहयोगी निर्यातक न माने और उपर्युक्त निर्यातक के लिए कोई भी अलग पाटन मार्जिन से इंकार करें।

37. प्राथमिक जांच परिणाम के पैरा 28 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों में विसंगियां पाई गई हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से नोट करते हैं कि वे चीनी निर्यातकों द्वारा दायर कमी वाले उत्तरों पर विचार न करें और उन्हें सीधे ही रद्द करें। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्यातकों को कमी वाले प्रश्नावली के उत्तर दायर कर जांच में छानबीन करने और जांच के बाद के स्तर पर अन्य आंकड़ों/सूचना के साथ उसे पूरक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

38. उत्तर दायर करने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के बाद संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए और उन निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए।

39. जहां तक प्राथमिक जांच परिणामों की आवश्यकता का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की गंभीरता से घरेलू उद्योग के बने रहने पर खतरा पैदा हुआ था, जैसा कि क्षति मानदंडों में दर्शाई गई गंभीर क्षति से भी देखा जा सकता है और इसीलिए प्राधिकारी द्वारा तत्काल उपायों की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र में विस्तृत तर्क के साथ अनंतिम शुल्क लगाए जाने का विशेष रूप से अनुरोध किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने सही-सही जांच की कार्यवाई की है और संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सूचना की पूरी तरह से जांच करने के बाद प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए क्योंकि अनंतिम शुल्क लगाए जाने के लिए यह उपयुक्त मामला था।

40. घरेलू उद्योग समझता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने अपना पहुँच मूल्य और निर्यात कीमत बढ़ाने के लिए अपने उत्तरों में हटाए गए उत्पादों (कलर टोनर, एमआईसीआर टोनर आदि) को शामिल किया है। घरेलू उद्योग ने निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के मूल्य और मात्रा का सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए डीजी सिस्टम्स से लिए गए सरकारी लेन-देन वार आयात आंकड़ों से करने का अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग निर्यातकों की गलत सूचना के कारण सही संरक्षण से वंचित न रहें। यह परिपाटी मलेशिया से विरुद्ध पाटनरोधी क्लीयर फ्लोट ग्लास (फा. सं. 6/15/2019-डीजीटीआर दिनांक 20.08.2020) के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप होगी जिसमें अनुरोध करने पर प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ निर्यातकों की कीमतों की जांच की थी।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

41. प्राधिकारी ने इस मामले में 18.06.2020 को अनंतिम जांच परिणाम जारी किए, जो उपर्युक्त द्वारा समय पर दायर उत्तर पर विचार किए बिना वित्त मंत्रालय द्वारा बाद में अधिसूचित किए गए थे। अब तक की कार्यवाहियों विरोधी पक्षकारों के लिए प्रक्रियागत रूप से अनुचित रही हैं और पक्षकारों के अधिकारों से अत्यधिक समझौता किया गया है क्योंकि अनंतिम शुल्कों की सिफारिश विरोधी पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किए बिना की गई थी।

42. घरेलू उद्योग का निष्पादन और विरोधी विचारों की अनदेखी कर प्राथमिक जांच परिणाम की सिफारिश करने की कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी तथा वर्तमान शुल्कों के औचित्य के अभाव भी इस अनुरोध में दर्शाया गया है।

43. प्राथमिक जांच परिणाम जल्दबाजी में जारी किया गया था और अंतरिम शुल्क लगाने की अधिसूचना भी स्वेच्छाचारिता दर्शाती है।

44. प्राथमिक जांच परिणाम वांछित उत्पाद की आपूर्ति कर भारतीय मांग को पूरा करने में याचिकाकर्ताओं की अक्षमता के मुद्दे को हल करने में विफल रहते हैं।

45. जांच की अवधि बारह माह होनी चाहिए। यदि प्राधिकारी कम अथवा अधिक अवधि पर विचार कर रहे हैं तो वे उस पर विचार करने और संशोधन करने के पीछे औचित्य और तर्क दर्शाने के लिए समुचित औचित्य देंगे।

46. कम अवधि के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन का कोई विश्लेषण कंपनी के वास्तविक निष्पादन को नहीं दर्शाता।

47. याचिका की एनसीवी ने पर्याप्त सूचना न देकर नियम 7 का उल्लंघन किया बल्कि किसी औचित्य के बिना उपर्युक्त अगोपनीय घोषणा ने याचिका में गोपनीयता का दावा किया गया है। सामान्य मूल्य के परिकलन संबंधी व्यौरे जानबूझकर शेयर नहीं किए गए थे। यहां तक कि बिजली, श्रम, कच्ची सामग्री आदि की लागत सहित सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए सूचीबद्ध आंकड़े तथा मानदंड सूचीबद्ध आंकड़ों अथवा सार के रूप में नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने यूटिलिटीयों, विवरण, विनिर्माण खर्चों, वेतन एवं मजदूरी, प्रशासनिक खर्चों आदि से संबंधित कोई सूचना नहीं दी है और अगोपनीय सार साथ में दिए बिना उस सूचना को गोपनीय माना।

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. जांच की अवधि के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 6 माह की जांच की अवधि (अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019) प्रस्तावित की थी। तथापि, प्राधिकारी ने दिसंबर, 2019 तक हाल की और लंबी अवधि पर विचार करने के लिए उसे बढ़ाया है। प्राधिकारी ने गहन पाठन तथा इस तथ्य पर कि घरेलू उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है, विचार करते हुए 9 माह की जांच की अवधि पर विचार किया।

49. कमी पूर्ण उत्तर दायर करने के मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पैरा 4(ज) के तहत क्रम संख्या (ख) से (ज) में उल्लिखित आयातकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म ने प्राधिकारी द्वारा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के प्रपत्र के अनुसार पूर्ण उत्तर दायर नहीं किया है। यह नोट किया गया है कि उपर्युक्त आयातक ने आयातों के पूर्ण लेन-देन वार व्यौरे, यथा आपूर्तिकर्ता का नाम, बीजक संख्या, बीजक तारीख आदि दायर नहीं किए हैं। जहां तक तियानजिन सिंथेटिक मैटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी लिमिटेड (चीन) द्वारा उत्तर दायर न करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि तियानजिन सिंथेटिक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। अतः उपर्युक्त आयातकों और तियानजिन सिंथेटिक मैटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी लिमिटेड को असहयोगी माना गया है।

50. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

51. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश देते हुए उपलब्ध कराया कि वे ई-मेल के माध्यम से एक-दूसरे के साथ अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर शेयर करें। आयातों, निष्पादन मानदंडों और घरेलू उद्योग के क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, वह गोपनीय नहीं मानी जा सकती।

52. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उसके संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है। कोविड-19 महामारी के कारण प्राधिकारी ने भी हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।

53. प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए जाने के संदर्भ में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपने आवेदन पत्र में उपयुक्त तर्क के साथ अंतिम शुल्क लगाए जाने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया था और यह कि प्राधिकारी ने मामले के औचित्य के आधार पर सख्ती से घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत देने के लिए अनंतिम शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। यह भी नोट किया जाता है कि प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति देते समय दिनांक 20.05.2020 के समय विस्तार की सूचना में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत देने का अधिकार है।

54. सीसीओईए की पात्रता के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ग)(i) के अनुसार केवल एक व्यापारिक एसोसिएशन, जिसके अधिकतर सदस्य संबद्ध सामानों के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हैं, को हितबद्ध पक्षकार माना जा सकता है। नियम 2(ग)(i) के संगत उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

"(ग) "हितबद्ध पक्षकार" में निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) भारत में पाटित किए जा रहे सामानों के लिए जांच से संबद्ध किसी वस्तु का कोई निर्यातक अथवा विदेशी उत्पादक अथवा आयातक, अथवा कोई व्यापारी अथवा व्यापारिक एसोसिएशन जिसके अधिकतर सदस्य उस वस्तु के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हों;....."

55. यह नोट किया जाता है कि सीसीओईए ने केवल 6 उत्पादकों के प्राधिकार पत्र दायर किए हैं, जबकि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट है कि उनके 200 से अधिक सदस्य हैं, तथापि उपर्युक्त के बावजूद प्राधिकारी ने सीसीओईए द्वारा किए गए अनुरोधों को उपयुक्त रूप से लिया है।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार(एमईटी) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

57. चीन जन. गण. को पाटनरोधी नियमवली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए क्योंकि विगत वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा और डब्ल्यूटीओ के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनेक पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनार्थ उसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। यदि संबंधित फर्मों/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंडों के आधार पर उक्त मान्यता का खंडन करने में सक्षम न हों।

58. चीन की अर्थव्यवस्था के कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर सरकारी हस्तक्षेप की भारी मात्रा को देखते हुए चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना आवश्यक है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था को राज्य की शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में राज्य के तंत्र का भारी हस्तक्षेप और नियंत्रण है। डब्ल्यू टी ओ में चीन के शामिल होने के अंतर्गत उसे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करना स्वतः-स्फूर्त नहीं है बल्कि एक्सेसन प्रोटोकॉल में उल्लिखित पूर्व शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

59. प्राधिकारी ने सरकार द्वारा नियंत्रित विनिमय दर के आधार पर बिल्कुल हाल के जांच परिणाम (चीन से विट्रीफाइट टायलों के मामले में अंतिम जांच परिणाम सं. 14/14/2014-डीजीएडी दिनांक 8 अप्रैल, 2017 देखें) में भी निर्यातकों के एमईटी दावे का अस्वीकृत किया है।

60. उपर्युक्त के मद्देनजर चीन की फर्मों के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 1 के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश को चुनना पहले विकल्प के रूप में अपेक्षित है। तथापि, घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमतों का कोई ब्यौरा प्राप्त करने में असमर्थ रहा है क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण.

के लिए समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया है। इस पद्धति पर चीन जन. गण. के विरुद्ध पूर्ववर्ती जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

मलेशिया तथा ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

61. आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने मलेशिया तथा ताइवान में घरेलू कीमतों की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है। तथापि, आवेदक इन देशों में संबद्ध वस्तु की प्रचलित कीमतों का कोई ब्यौरा प्राप्त करने में असमर्थ रहा है क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अतः घरेलू उद्योग ने मलेशिया और ताइवान के लिए समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया है।

चीन जन. गण., मलेशिया तथा ताइवान के लिए निर्यात कीमत

62. संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किए गए हैं।

चीन जन. गण., मलेशिया तथा ताइवान के लिए पाटन मार्जिन

63. ऊपर की गई चर्चा अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

64. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के परिकलन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए सिद्धांत पर प्रश्न उठाया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के परिकलन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क आधारहीन हैं। हितबद्ध पक्षकार यह मानने में विफल रहे हैं कि जांच की शुरुआत के समय आवेदकों के पास सीमित सूचना उपलब्ध थी। तथापि, संबंधित निर्यातकों से एक बार उत्तर प्राप्त हो जाने पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण करते समय उन पर विश्वास किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना व्यावहारिक है कि वर्तमान मामले को दायर करने से पूर्व घरेलू उद्योग ने संबंधित देशों में संबद्ध सामानों की विद्यमान कीमतों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए। तथापि, काफी प्रयासों के बावजूद घरेलू उद्योग संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की कीमतें प्राप्त नहीं कर पाया।

65. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों का संबंध है कि भारत में संबद्ध सामानों का कोई पाटन नहीं है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि पूर्व के स्तरों पर उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, सूचना और साक्ष्य तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों का आक्रामक और काफी पाटन हुआ है। अतः इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क गलत रखे गए हैं और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों तथा तथ्यों के विरोधाभासी हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

66. प्राथमिक जांच परिणाम के लिए उत्तरदाता पक्षकारों के उत्तरों को पहले से ही मानना प्राधिकारी के निर्णय से अन्य विभिन्न प्राथमिक निर्धारणों में भी पाटन मार्जिन निर्धारण का गंभीर रूप से पूर्वाग्रह हुआ है और यह अनुरोध है कि चीन जन. गण. के मामले में निर्धारित 20-40 प्रतिशत का पाटन मार्जिन स्पष्ट रूप से बढ़ा हुआ है और कोई वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता।

67. प्राथमिक जांच परिणाम में निर्धारित पाटन मार्जिन में कोई पीसीएन विश्लेषण शामिल नहीं है। औसत स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पाटन मार्जिन सही स्थिति नहीं दर्शाएगा क्योंकि उत्पाद किस्मों में परस्पर लागत और कीमत में काफी अंतर होता है।

68. याचिकाकर्ताओं ने कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए किए गए विभिन्न खर्चों का गलत मूल्य उल्लिखित किया है। केवल समुद्री भाड़े के साक्ष्य ही अनुबंध-17 के रूप में याचिका में संलग्न है। अन्य सभी समायोजन

अनुमानित आधार पर किए गए हैं जो सही नहीं हैं और पूरी तरह से बिना किसी साक्ष्य के समर्थन के हैं और इसीलिए उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका के अनुबंध-10 में प्रस्तुत संबद्ध देशों से ब्लैक टोनर की समायोजित कारखानागत निर्यात मूल्य कीमत गलत है। याचिकाकर्ता के लिए यह अपेक्षित है कि वे निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए इन अनुमानों के प्रयोग के आधार से संबंधित सूचना प्रकट करें क्योंकि यह सूचना प्रकृति में गोपनीय नहीं है। आयातक दावा करते हैं कि निर्यात कीमत के निर्धारण का नियम 5(2) और 5(3) के उल्लंघन में किसी साक्ष्य से समर्थन नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

69. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद-15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जीए VI का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और I" क्यू" के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

70. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में दिए गए उपबंध 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, एक्सेशन प्रोटोकाल के 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के 2.2.1.1 के अंतर्गत उपबंध में भारतीय नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदत्त सूचना/आंकड़ों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक (उत्पादकों) और निर्यातक (निर्यातकों) ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है, इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

71. तदनुसार, चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

72. जांच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद सामान्य मूल्य परिकलित किया था क्योंकि आवेदकों ने दावा किया है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में प्रचलित संबद्ध वस्तु के लिए कीमत के ब्यौरे प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। जांच शुरूआत पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरूआत सूचना का उत्तर देने और इस निर्धारण के संगत सूचना प्रस्तुत करने की सलाह दी थी कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अभिज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मान्यता के खंडन के अभाव में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करना उचित समझा गया है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और तर्कसंगत लाभ सहित प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर भारत में उत्पादन लागत के अनुसार सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य

73. मलेशिया से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, प्राधिकारी ने उपयुक्त लाभ के साथ बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों में विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है।

ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

74. यह नोट किया जाता है कि उत्पादक अर्थात् ट्रेड टोन इमेजिन इंक. (टीटीआई) ने ताइवान से जांच में भाग लिया है। तथापि, यह नोट किया गया है कि टीटीआई ने भारत को निर्यात के लिए अपने संबद्ध चीनी उत्पादक से केवल *** मी. टन सूचित किया है, जबकि डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार उसने भारत को चीनी मूल के संबद्ध सामानों के *** मी. टन का निर्यात किया है। तदनुसार, परिशिष्ट-2 और डीजी सिस्टम के आंकड़ों में सूचित निर्यात मात्राओं के बीच काफी अंतर के मद्देनजर, प्राधिकारी टीटीआई को असहयोगी निर्यातक मानते हैं।

75. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने टीटीआई और ताइवान से अन्य सभी उत्पादकों के लिए उपयुक्त लाभ के साथ बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों में विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है।

तियानजिन झोंघुआन टीसीओए इलेक्ट्रॉनिक्स कं. लि. (टीसीओए) के लिए निर्यात कीमत

76. टीसीओए द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि कुछ लेन-देनों की मात्रा इस तरीके से परिशिष्ट-3क में दी गई है कि वे तथ्यों को गलत दर्शाती हैं। तदनुसार, प्राधिकारी टीसीओए को एक असहयोगी निर्यातक मानते हैं।

77. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सूचना एवं तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों, कमीशन, ऋण लागत और अंतर्देशीय भाड़ा के लिए समायोजन किए गए हैं।

हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि. के लिए उसके संबद्ध उत्पादक एचजी टेक्नोलॉजीस कं. लि. सहित निर्यात कीमत

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि. ने अपने संबद्ध उत्पादक अर्थात् एचजी टेक्नोलॉजीस कं. लि., चीन जन. गण. के साथ उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए सूचना दी है। यह पाया गया था कि हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि. ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों के *** मी. टन का निर्यात किया था जिसमें से *** मी. टन उनके द्वारा उत्पादित सामग्री थी और *** मी. टन उसके संबद्ध उत्पादक एचजी टेक्नोलॉजीस कं. लि. द्वारा उत्पादित सामग्री थी तथा शेष *** मी. टन असंबद्ध पक्षकार अर्थात् तियानजिन झोंघुआन तियानजिया इलेक्ट्रॉनिक कं. लि. द्वारा उत्पादित थी, जबकि हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि. ने अपने संबद्ध उत्पादक अर्थात् एचजी टेक्नोलॉजीस कं. लि. सहित निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, असंबद्ध उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी *** मी. टन के निर्यात के आधार पर ही निर्यात कीमत पर विचार करना मानते हैं। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा और अन्य के निमित्त खर्चों को उनके सीएफआर/एफओबी निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपर्युक्त खर्चों के समायोजन के बाद भारत औसत निवल कारखानागत निर्यात कीमत *** प्रति मी. टन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की जाती है।

मलेशिया के लिए निर्यात कीमत

79. मलेशिया से किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया गया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देशों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, ऋण लागत और अंतर्देशीय भाड़े के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

80. ऊपर यथापरिकलित सामान्य मूल्य और यथा निर्धारित निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

मूल और/ अथवा निर्यात का देश	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (अमे. डॉ./ मी. टन)	गैर-निर्यात कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	पाटन मार्जिन (अमे. डॉ./ मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन % रेंज
चीन जन. गण.	हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि.	***	***	***	***	30-40
चीन जन. गण.	अन्य कोई उत्पादक	***	***	***	***	40-50
मलेशिया	कोई उत्पादक	***	***	***	***	50-60
ताइवान	कोई उत्पादक	***	***	***	***	10-20

छ. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

81. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात आधार वर्ष में 2203 एम टी से बढ़कर पी ओ आई (ए) के दौरान 2,969 मी. टन हो गए हैं अर्थात् इनमें 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में वर्ष 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पीओआई (ए) में भारी वृद्धि हुई है।

- ख. कुल आयातों में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का हिस्सा पीओआई में 85.44 प्रतिशत रहा है जो काफी अधिक है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा आक्रामक पाटन के कारण घरेलू बाजार में काफी अधिक बाजार हिस्सा हथियाने सक्षम रहे हैं। भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर आयातों में भारी वृद्धि होने की संभावना को भी दर्शाती है। अतः घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे का भी स्पष्ट मामला बनता है।
- ग. भारत में कुल मांग की दृष्टि से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी वृद्धि हुई है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के अत्यधिक पाटन के कारण क्षति हो रही है। इसके अलावा, भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर बढ़े हुए आयातों तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की संभावना भी दर्शाती है।
- घ. उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी वृद्धि हुई है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के अत्यधिक पाटन के कारण क्षति हो रही है। भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर बढ़े हुए आयातों तथा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की संभावना भी दर्शाती है।
- ङ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में न केवल समग्र रूप से वृद्धि हुई है बल्कि कुल मांग और घरेलू उत्पादन की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।
- च. संबद्ध देशों के औसत पहुंच मूल्य में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी गिरावट आई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी पी ओ आई के दौरान गिरावट आई है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग की लागत में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण ये न्यूनीकृत रही हैं। तदनुसार वर्तमान वास्तविक क्षति के साथ-साथ वास्तविक क्षति का खतरा भी आसन्न है।
- छ. घरेलू बाजार में मांग में पी ओ आई (ए) में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पी ओ आई (ए) में गिरावट आई है। इससे यह तथ्य स्पष्टतः सिद्ध होता है कि आयातों के कारण बाजार हिस्से के संदर्भ में भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि के कारण अपनी क्षमता में वृद्धि की है। पी ओ आई (ए) में मांग में भारी वृद्धि हुई है तथापि, पाटित आयातों में वृद्धि के कारण पी ओ आई (ए) में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- झ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कम मूल्य के कारण 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पी ओ आई (ए) के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है।
- ञ. मांग में भारी वृद्धि के बावजूद पिछले वर्षों की तुलना में पी ओ आई (ए) में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों में भारी वृद्धि के कारण काफी कठिनाई झेलनी पड़ी है।
- ट. पाटित आयातों के कम मूल्य के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। इससे स्पष्टतः पाटित आयातों का क्षतिकारी प्रभाव प्रदर्शित होता है।
- ठ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के तीव्र पाटित आयातों के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कम मूल्य के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की घरेलू कीमत को न्यूनीकृत और ह्रासीकृत किया है। तदनुसार, वर्तमान में क्षति और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा भी है।
- ड. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय (आर ओ सी ई) में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में भारी गिरावट आई है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

- ढ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम मूल्य के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण संबद्ध वस्तु की मालसूची में भारी वृद्धि हुई है।
- ण. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री दोनों जांच अवधि के दौरान सकारात्मक और अत्यधिक रही हैं। इससे घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का क्षतिकारी प्रभाव प्रदर्शित होता है।
- त. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है और इस प्रकार, संबद्ध वस्तु की आक्रामक कीमत को दर्शाता है। घरेलू उद्योग को इसके कारण क्षति हुई है।
- थ. घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अत्यधिक खराब हो गई है। घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों की वजह से आसन्न है।
- द. क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री, घरेलू बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, आर ओ सीई, नकद प्रवाह, आदि में गिरावट स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम मूल्य के पाटित आयातों के प्रतिकारी प्रभाव को दर्शाती है। घरेलू उद्योग के खराब वित्तीय निष्पादन का एकमात्र कारण यह है कि वह तीव्र पाटित आयातों के कारण अपनी कीमतों को बढ़ा नहीं पाया है। घरेलू उद्योग के लिए यह अत्यधिक दुभाग्यपूर्ण स्थिति है कि मांग में भारी वृद्धि के बावजूद वित्तीय कार्य निष्पादन में नुकसान जारी है।
- ध. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में भावी निवेश भी प्रभावित हुआ है। क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री, घरेलू बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, आर ओ सी ई, नकद प्रवाह, आदि में गिरावट स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कम मूल्य के पाटित आयातों के प्रतिकारी प्रभाव को दर्शाती है कि पाटित आयातों के कारण इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई।
- न. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का संबंध है कि वर्ष 2018-19 के लिए इंडियन टोनर की वार्षिक रिपोर्ट उन अन्य कारकों की मौजूदगी दर्शाती है जिनसे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो सकता है, यह अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि घरेलू बाजार में आ रहे कम कीमत के टोनरों के आयातों का जोखिम हमेशा रहा है और घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने में एक सक्षम प्रमुख जोखिम/खतरे के रूप में कार्य करता है। किसी भी दशा में यह नोट किया जाए कि जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की विषय-वस्तु संगत नहीं है और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

82. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. प्राथमिक जांच परिणाम में रिकॉर्ड किए गए अनुसार घरेलू उद्योग का निष्पादन कोई वास्तविक क्षति नहीं दर्शाता और दावा केवल तथ्यों अथवा क्षति के मानदंडों में कुछ ह्रास का ही है जिसकी गंभीर जांच की जानी चाहिए और प्राथमिक जांच परिणाम में प्रस्तुत किए गए अनुसार इन क्षति संबंधी आंकड़ों में कोई वास्तविक क्षति नहीं दिखाई देती।
- ख. उत्तरदाता पक्षकार यहां क्षति संबंधी पहलू पर संगत एवं विस्तृत टिप्पणियां दायर करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आधारभूत मात्रा संबंधी सूचना प्राथमिक जांच परिणाम में नहीं दी गई है। क्षमता, उत्पादन, बिक्री, मांग आदि के संबंध में वास्तविक सूचना के अभाव में इस तथ्य को देखते हुए कोई तर्कसंगत टिप्पणी नहीं दी जा सकती कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद में शामिल उत्पादों की पूरी रेंज नहीं दे रहा था और दावा की गई क्षति उस समय आयातों से नहीं जोड़ी जा सकती, जब आयातित सामानों का काफी भाग उन किस्मों अथवा प्रतिस्थापनीय किस्म की आपूर्ति करने में याचिकाकर्ताओं की अर्थक्षमता के कारण आवश्यक था।

- ग. आयातों में मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हुई, परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई। आयातों में वृद्धि के मुख्य कारण मांग-आपूर्ति/गुणवत्ता मुद्दे, एक याचिकाकर्ता के संबद्ध पक्षकार द्वारा आयात तथा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अनावश्यक किस्मों को शामिल करना रहे हैं।
- घ. जब भारत में मांग में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मानदंडों में गिरावट को लगाए गए आरोप के अनुसार किसी पाटन से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि आयातों में वृद्धि भारत में विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों की उपलब्धता के अभाव का परिणाम थी।
- ङ. एक याचिकाकर्ता का संबद्ध पक्षकार भी सामग्री का आयात और बिक्री करता रहा है और इन आयातों के कारण कोई क्षति स्वप्रभावित आयातों और क्षति के रूप में नोट की जानी चाहिए और वह क्षति अधिसंख्य प्रयोक्ताओं और आयातकों द्वारा किए गए अधिकृत आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए।
- च. याचिकाकर्ताओं ने क्षमता उस समय बढ़ाई जब मात्रात्मक मानदंडों में गिरावट आ रही थी, जो यह दर्शाता है कि क्षमताएं निर्यात बाजार की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थीं और उस संदर्भ में क्षमता उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति अत्यधिक भ्रामक है।
- छ. कच्ची सामग्री के भारी आयात के कारण विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय भाड़े में वृद्धि जैसे कारण याचिकाकर्ताओं की चिंताओं का कारण रहे हैं और आयात, जो हमेशा विद्यमान रहे हैं, क्षति का कारण नहीं हैं।
- ज. आयातों की पहुँच कीमत ने याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता प्रभावित नहीं की।
- झ. आरओसीई जैसे प्रमुख मानदंड में गिरावट का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि घरेलू प्रचालन में लाभप्रदता की तुलना निर्यातों के लिए किए गए भारी निवेशों से भी की जाती है।
- ञ. प्राथमिक जांच परिणाम में कारणात्मक संपर्क के पहलू की जांच करने के लिए विचार किए गए मानदंड पूर्ण और उचित नहीं हैं।
- ट. वर्ष 2018-19 के लिए इंडिया टोनर की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कंपनी की 95 प्रतिशत से अधिक कच्ची सामग्री आयात की जाती है जिससे कंपनी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय भाड़े में वृद्धि आदि और अन्य जोखिमों के लिए सुबेद्य हो जाएगी तथा इन तथ्यों के कारण कोई क्षति आयातों से नहीं जोड़ी जानी चाहिए। कंपनी स्वीकार करती है कि निर्यात क्षमता उपयोग बढ़ाने और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए कंपनी के वास्ते बड़े अवसर प्रदान करते हैं जो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित क्षमता का लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्यात है तथा निर्यात करने के लिए स्थापित क्षमता के कारण निर्धारित लागत आदि का कोई प्रभाव आयातों के कारण क्षति के रूप में नहीं होनी चाहिए।
- ठ. आईटीडीएल पूरी आरोपित क्षति अवधि तथा बाद में अनुसंधान एवं विकास पर भारी धनराशि खर्च करती रही है क्योंकि वह लाभ कमा रही है।
- ड. संबद्ध आयातों के कारण कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है।
- ढ. यह भी अनुरोध है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण न तो कोई वास्तविक क्षति है और न ही आसन्न क्षति क्योंकि घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है और उनकी कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि हुई है। यह भी अनुरोध है कि सभी क्षति संबंधी मानदंड यह दर्शा रहे हैं कि घरेलू उद्योग अच्छा निष्पादन कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

83. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैरा (iii) में निम्नानुसार उल्लिखित है:

“(iii) यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निश्चरण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान

वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है; तथा (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।"

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देशों से आयातों की कुल मात्रा व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक है।
- (ग) इस प्रकार से संबद्ध देश न केवल सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय बाजार में इस तरह की समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा की गई है।

85. उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से क्षति का आकलन करना उचित होगा कि संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग में उत्पाद के आयात संचयी रूप से विचाराधीन हैं।

86. क्षति के आकलन और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों के आलोक में जांच की गई है। अनुबंध-2 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों पर कीमत प्रभाव

(क) मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

87. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में लिया गया है। इस प्रकार आकलित मांग आधार वर्ष की तुलना में पीओआई और पूर्ववर्ती वर्ष में बढ़ी है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	2,203	2,569	2,617	2,226	2,969
अन्य देशों से आयात	मी. टन	225	325	462	379	506
कुल आयात	मी. टन	2,428	2,894	3,080	2,606	3,474
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	91	91
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	-	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-	-
कुल घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	91	91

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	पीओआई (वार्षिकीकृत)
मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	114	114

88. जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पाटित आयातों में वृद्धि के कारण गिरावट आई है।

(ख) संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

89. आयातों की मात्रा के संबंध में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि दोनों से वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	2,203	2,569	2,617	2,226	2,969
अन्य देशों से आयात	मी. टन	225	325	462	379	506
कुल आयात	मी. टन	2,428	2,894	3,080	2,606	3,474
कुल पीयूसी उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
भारत में संबद्ध वस्तु की मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	111	157	157
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	102	118	118

90. उक्त तालिका से नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

91. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में उत्पादन और मांग की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।

(ग) मांग में बाजार हिस्सा

92. यह नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद आवेदकों के बाजार हिस्से में पी ओ आई में गिरावट आई है।

मांग में बाजार हिस्सा	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	93	79	79

मांग में बाजार हिस्सा	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देश	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	102	118	118

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों पर कीमत प्रभाव

93. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस बात का विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत के संबंध में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

94. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती संबंधी प्रभाव निम्नानुसार ज्ञात किए गए हैं :-

i. कीमत कटौती (संबद्ध देश)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	3,58,173	3,41,697	3,49,364	3,19,506	3,19,506
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	98	89	89
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	58	106	106
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

ii. कीमत कटौती (चीन जन. गण.)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
चीन जन. गण. से पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	3,70,695	3,40,101	3,42,287	3,15,030	3,15,030
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	85	85
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	97	154	154
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iii. कीमत कटौती (ताइवान)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
ताइवान से पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	3,57,766	3,48,658	3,75,237	3,60,797	3,60,797
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	105	101	101
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	6	22	22
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iv. कीमत कटौती (मलेशिया)

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
मलेशिया की पहुंच मूल्य	रु./मी. टन	3,24,968	3,23,794	3,80,344	2,50,400	2,50,400
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	117	77	77
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	-3	147	147
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	20%-40%	0%-20%	(20)%-0%	41%-60%	41%-60%

95. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात आवेदकों की घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर आ रहे हैं। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती सकारात्मक हैं।

ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

96. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा ऐसी कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई थी:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
पहुंच मूल्य-संबद्ध देश	रु./मी. टन	3,58,173	3,41,697	3,49,364	3,19,506	3,19,506
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	98	89	89
घरेलू बिक्री कीमत रु./मी. टन	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
लागत रु./मी. टन	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	98	106	106

97. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात पी ओ आई में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आ रहे हैं। इससे घरेलू उद्योग पी ओ आई के दौरान अपनी कीमतों को घटाने पर बाध्य हुआ है और इसलिए इसके लाभों में भारी गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में बिक्री लागत (रु./एम.टी.) में 6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत इसी अवधि के दौरान 9 प्रतिशत तक कम हुई है। अतः पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत न्यूनीकरण और ह्रास हुआ है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

99. विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की तथ्यपरक जांच की गई है।

क) उत्पादन क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

100. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, और क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	111	111	111
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	107	86	86

घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	91	91
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	97	78	78

101. पी ओ आई में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में आवेदकों के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। ऐसा संबद्ध देशों से आ रहे पाटित आयातों की भारी मात्रा के कारण हुआ है।

ख) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

102. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ क्षति अवधि के दौरान नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	91	91
मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	114	114
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	91	91
बिक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	98	106	106
लाभ तथा हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	78	22	22
लाभ तथा हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	71	25	25
नकद लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	77	43	43
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	63	19	19

103. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:-

क. पीयूसी की मांग में निरंतर वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निम्नलिखित कारणों से भारी गिरावट आई है:

➤ आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में लागत (रुपए/एमटी) में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

➤ पाटित आयातों के कारण आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में घरेलू बिक्री कीमत में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

➤ मांग में काफी वृद्धि के बावजूद आक्रामक पाटन के कारण आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) में बिक्री मात्रा में 9% तक की गिरावट आई है।

ख. इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 2017-18 में 108 सूचीबद्ध बिन्दुओं से पीओआई (ए) के दौरान 43 सूचीबद्ध बिन्दुओं तक की भारी गिरावट आई है।

ग. नियोजित पूंजी पर आय में पीओआई के दौरान गिरावट आई है जो 2017-18 में 102 सूचीबद्ध बिन्दुओं से काफी घटकर पीओआई (ए) में 19 सूचीबद्ध बिन्दु रह गई है।

(ग) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

104. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	पीओआई (वार्षिकीकृत)
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	95	86	86
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	115	118	118
उत्पादकता/कर्मचारी	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	113	100	100
मजदूरी/कर्मचारी	रु./सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	121	137	137

105. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार और उत्पादकता में पीओआई में गिरावट आई है और जबकि मजदूरी और मजदूरी/कर्मचारी में वृद्धि दर्ज हुई है।

(घ) मालसूची

106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	पीओआई (वार्षिकीकृत)
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	233	409	409

107. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची 2016-17 में 100 सूचीबद्ध बिन्दुओं की तुलना में पीओआई (ए) के दौरान 409 सूचीबद्ध बिन्दु तक बढ़ गई है। बढ़े हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में गिरावट आई है। बढ़ी हुई मांग पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है।

(ड) वृद्धि

108. यह नोट किया जाता है कि मांग में बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2017-18 और 2018-19 की तुलना में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

(च) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

109. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास हो रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना पीओआई के दौरान भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह निष्कर्ष हो सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

110. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग की एन आई पी ज्ञात की गई है और क्षति मार्जिन के परिकलन हेतु उसकी तुलना संबद्ध देशों से पहुंच कीमत के साथ की गई है।

मूल और/अथवा निर्यात का देश	उत्पादक का नाम	एनआईपी (अमे. डॉ./मी. टन)	पहुँच मूल्य (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन % रेंज
चीन जन. गण.	हंडन हंगुआंग ओए टोनर कं. लि.	***	***	***	***	30-40
चीन जन. गण.	अन्य कोई उत्पादक	***	***	***	***	40-50
मलेशिया	कोई उत्पादक	***	***	***	***	40-50
ताइवान	कोई उत्पादक	***	***	***	***	0-10

111. सभी संबद्ध देशों से क्षति मार्जिन सकारात्मक है और चीन जन. गण. और मलेशिया से काफी अधिक हैं।

प्राधिकारी द्वारा क्षति संबंधी विभिन्न अनुरोधों की जांच

112. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस आरोप का संबंध है कि अन्य कारक क्षति का कारण हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए है जबकि जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से दिसंबर, 2019 है। तदनुसार, वह गलत रखी गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि पाटनरोधी कानून के तहत संरक्षण की मांग करने के लिए केवल क्षति का कारण आयात ही होने चाहिए।

113. मांग-आपूर्ति अंतराल के मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि ये यह सुनिश्चित करने के लिए एक अस्त्र मात्र हैं कि भारत में आयात उचित कीमत पर आ रहे हैं और शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात उचित कीमतों पर आ सकते हैं। यह प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुरूप है।

114. निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के मूल्य और मात्रा का सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस/डीजी सिस्टम से लिए गए सरकारी लेन-देन वार आंकड़ों से करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग निर्यातकों की गलत रिपोर्टिंग के कारण सही संरक्षण से वंचित न हो, प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा उनके उत्तर में सूचित निर्यातों का सत्यापन किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि कुछ निर्यातकों द्वारा सूचित लेन-देनों में काफी अंतर हैं और उन्हें इस दस्तावेज में संगत स्थान पर उपयुक्त रूप से हल किया गया है।

ज. गैर आरोपण विश्लेषण

115. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या उसी समय पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, ताकि अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

116. संबद्ध देशों से इतर देशों से आयातों का पीओआई के दौरान कुल आयातों में हिस्सा केवल 12 प्रतिशत है। अन्य देशों से आयात कीमत संबद्ध देशों से कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। अतः तीसरे देशों से आयातों के कारण न तो क्षति हुई है और न ही घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है।

निर्यात कार्य निष्पादन

117. केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

प्रौद्योगिकी का विकास

118. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो भागीदारी की है न ही प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी खास परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे घरेलू उद्योग का क्षति हो सकती हो।

कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

119. घरेलू उद्योग अधिकांशतः पीयूसी के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। केवल मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लि. ने अन्य उत्पाद की थोड़ी सी मात्रा को बेचा है। तदनुसार, अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को न तो क्षति पहुंचा रहा है और न ही उससे क्षति का कोई खतरा है।

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

120. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं हैं और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कोई साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कोई क्षति हुई है।

मांग में संकुचन और खपत की पद्धति में परिवर्तन

121. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में 2018-19 की तुलना में पीओआई (ए) में मामूली गिरावट को छोड़कर पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को मांग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

झ. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

122. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:-

- क) भारतीय बाजार में संबद्ध देशों का काफी पाटन है जिससे बाजार में पाटित आयातों की उपलब्धता है।
- ख) आयातों में पूर्ण दृष्टि से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

- ग) बड़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है।
- घ) घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जबकि उसकी मालसूची में काफी वृद्धि हुई है।
- ङ) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास हुआ है।
- च) लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट आई है।
- छ) मात्रा तथा लाभप्रदता मानदंडों, दोनों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।
- ज) कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी है।

123. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ज. प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

124. टी सी ओ ए ने परिशिष्ट 3क में कुछ विशेष सौदों की मात्राओं का गलत विवरण प्रस्तुत किया है। इसलिए घरेलू उद्योग माननीय प्राधिकारी से टी सी ओ ए को एक असहयोगी के रूप में मानने और उच्चतम शुल्क जो अनिवार्य रूप से दंडात्मक उपाय के स्वरूप में होना चाहिए, लागू करने का, विनम्र अनुरोध करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी तथाकथित सहयोगी निर्यातक द्वारा ऐसे अभ्यासों को निरुत्साहित करने के लिए परिस्थितियों के तहत उचित समझी गई कोई उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

125. प्राधिकारी ने टी टी आई को असहयोगी के रूप में माने जाने का प्रस्ताव सही रूप से रखा है। घरेलू उद्योग विनम्रता पूर्वक निम्नलिखित आधारों पर टी टी आई को असहयोगी मानने का प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं।

- i. टी टी आई ने संबंधित चीनी उत्पादक से क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा का गलत विवरण / कम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- ii. प्राधिकारी ने व्यापार सूचना सं. 05/2018 दिनांक 28 फरवरी, 2018 के अनुसार निर्यातकों का प्रश्नावली उत्तर फॉर्मेट निर्धारित किया है। व्यापार सूचना के भाग-ग में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं का विवरण परिशिष्ट-2 में रिपोर्ट किए जाने की जरूरत है। तथापि, टी टी आई ने जानबूझकर क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं के विवरण की परिशिष्ट-2 में कम रिपोर्ट किया है।
- iii. इसके अतिरिक्त, टी टी आई ने अपने प्रश्नावली उत्तर के भाग-क के प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में दावा किया है कि पी ओ आई के दौरान इसका कोई भी संबंधित पक्षकार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री में संलग्न नहीं रहा है। यह प्राधिकारी को भ्रमित करने और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के स्पष्ट इरादे से तथ्यों का स्पष्ट रूप से गलत प्रस्तुतीकरण है।
- iv. टी टी आई द्वारा तथ्यों का विवरण गलत रूप से विवरण प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग माननीय प्राधिकारी से टी सी ओ ए को असहयोगी मानने और उच्चतम शुल्क लागू करने, जो अनिवार्य रूप से एक दंडात्मक उपाय के स्वरूप में होना चाहिए, का विनम्र अनुरोध करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी तथाकथित सहयोगी निर्यातक द्वारा ऐसे अभ्यासों को निरुत्साहित करने के लिए परिस्थितियों के तहत उचित समझी गई कार्यवाही कर सकते हैं।
- v. टी टी आई ने भारत को निर्यात के लिए चीन जन. गण. (संबद्ध देश) में आधारित अपनी संबद्ध कंपनी से क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा को पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किया है। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि टी टी आई संबद्ध वस्तुओं का व्यापारी भी है। व्यापार सूचना सं. 05/2018 की शर्तों में किसी व्यापारी द्वारा परिशिष्ट-5 प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। हालांकि, टी टी आई ने इसे प्रस्तुत नहीं किया है जैसा कि इसके प्रश्नावली उत्तर (पृष्ठ सं. 5 – सूचकांक) के अगोपनीय पाठ से प्रमाणित है। टी टी आई ने व्यापार सूचना

सं. 05/2018 दिनांक 28 फरवरी, 2018 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्मेट में अपना प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है।

126. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से टी टी आई को असहयोगी मानने और केवल इस आधार पर ही उच्चतम शुल्क लागू करने का विनम्र अनुरोध करता है। क्योंकि टी टी आई द्वारा यह धोखेबाजी और गलत विवरण प्रस्तुत करने का कार्य सुस्पष्ट रूप से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए किया गया है, घरेलू उद्योग माननीय प्राधिकारी से टी टी आई को न केवल असहयोगी मानने का बल्कि तथाकथित सहयोगी निर्यातक द्वारा ऐसे अभ्यासों को निरुत्साहित करने के लिए परिस्थितियों के तहत उचित समझी गई उचित कार्यवाही करने के लिए भी विनम्र अनुरोध करता है।

127. टी टी आई ने भारत को निर्यातकों के लिए चीन जन. गण. (संबद्ध देश) में आधारित अपनी संबद्ध कंपनी से क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं की मात्राओं को पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं किया है। टी टी आई की एक संबद्ध कंपनी है जो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में संलग्न है। हालांकि, इसकी संबद्ध कंपनी ने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है जिससे इनकी संपूर्ण उत्तर को एकदम अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

128. मौलिक आर्थिक तर्क, जो सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा पूर्ण भागीदारी पर जोर देने के लिए दुनिया भर के जांच प्राधिकारियों को मजबूर करता है, यह है कि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी नजरिए से 'एकल आपूर्तिकर्ता' माना जाता है। इसे "एकल आर्थिक इकाई" अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है जो इस विषय पर साहित्य और न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। अंतर्निहित विचार यह है कि जबकि संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन की पहचान की जा सकती है, विभिन्न आर्थिक और व्यावसायिक कार्य नीतियों पर निर्णय लेने की जटिल आंतरिक प्रक्रिया को समझना या सुलझाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसलिए, पूरे विश्व में अब कहीं भी यह कोई मुद्दा नहीं रहा है कि संबंधित पक्षों को केवल सहयोगी निर्यातकों को उपलब्ध पृथक उपचार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सहयोग करना होगा।

129. उपर्युक्त विचारधारा अभ्यासों में तथा विभिन्न प्राधिकारियों के निर्धारित प्रश्नावली फार्मेटों में भी परिलक्षित होती है। इस संदर्भ में हमारे दावे को प्रमाणित करने के लिए, भारतीय निर्धारित प्रश्नावली फार्मेट (व्यापार सूचना सं. 05/2018 दिनांक 28 फरवरी, 2018) के निम्नलिखित बिंदुओं की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

- क. प्रश्नावली फार्मेट को नियमों के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए निर्यातकों द्वारा इसे दायर किया जाना अनिवार्य है।
- ख. इसके विवेकाधिकार को लागू करने के लिए वैयक्तिक प्रतिवादी के लिए कोई स्थान नहीं है। यह विवेकाधिकार को निर्यातकों पर छोड़ा जाता है तो यह ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहां प्राधिकारी की शक्तियों को प्रतिवादी द्वारा अनधिकृत रूप से ग्रहण कर लिया जाएगा। यह एक अव्यवस्थितपूर्ण स्थिति होगी।
- ग. निर्धारित प्रश्नावली के सामान्य अनुदेशों का पैरा 2 भी स्पष्ट रूप से प्रतिवादी पक्षों को संबंधित कंपनियों का प्रश्नावली उत्तर दायर करने के लिए कहता है।
- घ. सभी संबंधित पक्षों द्वारा उत्तर दायर करने की जरूरत पर आगे समान निर्धारित प्रश्नावली फार्मेट के पैराग्राफ 8 और 9 में जोर दिया गया है।
- ड. इसके अलावा, निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के भाग-घ के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से संबंधित कंपनियों के लेखा परीक्षित लेखें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

130. निर्धारित प्रश्नावली के उपर्युक्त उपबंध इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट करते हैं कि एक सहयोगी निर्यातक के रूप में विचार किए जाने के लिए संबंधित पक्षों के उत्तर को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रश्नावली फार्मेट में दायर किया जाना चाहिए। संबंधित कंपनियों की सूचना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारी सूचना की शुद्धता, पर्याप्तता और पूर्णता की जांच कर सकें। यह अनुसरण किया जाता है कि किसी भी संबंधित पक्षों द्वारा प्रश्नावली उत्तर को दायर करने में विफलता का परिणाम संपूर्ण उत्तर की अस्वीकृति में होगा।

131. भारतीय प्रश्नावली फार्मेट तथा ई सी फार्मेट एक पृथक पाटन मार्जिन उपचार प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के लिए उत्तर देना अनिवार्य बनाते हैं। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में उत्तर देने वाले पक्षकारों को कोई विवेकाधिकार या छूट प्रदान नहीं की गई है। नियमावली साथ ही ई सी प्रश्नावली के तहत एक निर्धारित फार्मेट के रूप में अनुदेशों का अवलोकन भी यह स्पष्ट करता है कि यह संदर्भ समग्र रूप से जांचाधीन देशों अर्थात् संबद्ध देशों के लिए है। यह कहने की बात नहीं है कि अलग-अलग देशों में स्थित संबंधित उत्पादक अलग-अलग पाटन मार्जिन के हकदार नहीं होंगे लेकिन यह भी पूर्णतः स्पष्ट है कि यह अधिकारियों द्वारा जांच में पूरी तरह से सहयोग करने पर आधारित होगा। ऐसे करने में विफलता का परिणाम निरपवाद रूप से पूरे उत्तर को अस्वीकृत किए जाने में होगा।

132. निर्यातक को जांच के इस स्तर पर कोई नया प्रमाण या सूचना को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। प्राधिकारी से टी टी आई द्वारा दायर उत्तर को अस्वीकृत करने का और इसे असहयोगी के रूप में इसे माने जाने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि चीन जन. गण. में स्थित संबंधित उत्पादक/निर्यातक ने व्यापार नोटिस के पूर्ण उल्लंघन करते हुए प्रश्नावली उत्तर को दायर नहीं किया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

133. प्रकटन में पी यू सी और समान वस्तु पर विचार-विमर्श यहां आयातक द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करने में असफल रहे हैं और हम प्राधिकारी से उन पर अनुकूल रूप से विचार करने का अनुरोध करते हैं।

134. याचिकाकर्ताओं की राय पर प्राधिकारी का निष्कर्ष प्रकटन में उपलब्ध कराया गया है। तथापि, हम इस पर कोई अर्थपूर्ण टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि संबद्ध आयातों आदि में एक याचिकाकर्ता के किसी संबंधित पक्षकार द्वारा आयातों का हिस्सा अभी गोपनीय रखा गया है।

135. आयातों में वृद्धि सभी प्रकार के ब्लैक टोनर्स की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ताओं की देयता के कारण है और आयात भी याचिकाकर्ताओं में एक के संबंधित व्यापारी द्वारा किए गए थे। अतः, आयात में वृद्धि न तो याचिकाकर्ताओं पर किसी विपरीत प्रभावों का संकेतक है न ही यह कहा जा सकता है कि ऐसे आयातों से किसी प्रकार का खतरा है। आयातों में ऐसी वृद्धि निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित किसी कथित पाटित कीमत के अलावा अन्य कारकों के परिणामस्वरूप थी।

136. कथित क्षति पर प्रकटित तथ्य घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही किसी महत्वपूर्ण क्षति को नहीं दर्शाते। याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में गिरावट को हमारे द्वारा सूचीबद्ध ब्लैक टोनर्स की विस्तृत रेंज की आपूर्ति करने में उनकी अक्षमता के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।

137. हम प्राधिकारी से इस निष्कर्ष पर पहुंचने का अनुरोध करते हैं कि मामले को पाटन के दावों के रूप में किसी पाटनरोधी शुल्क की जरूरत नहीं है और परिणामी क्षति प्रमाणित नहीं है।

138. प्राधिकारी को शुल्क तालिका में दोनों उत्पादकों के नामों का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों पृथक हस्तियां हैं और ये दोनों ही उत्पादक हैं।

139. डी जी टी आर ने डी जी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है और टी टी आई के उत्तर को अस्वीकृत किया है, प्राधिकारी को हमारे साथ डी जी सिस्टम आंकड़ों को साझा करना चाहिए था। टी टी आई के पूरे उत्तर को एक सारहीन और अनुमानित आधार पर अस्वीकृत किया जाना पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.7 और अनुबंध-II के पैरा 6 का स्पष्ट उल्लंघन है।

140. प्राधिकारी ने गलत रूप से टी टी आई के लिए सामान्य मूल्य का निर्णय किया है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि जिस सौदे के आधार पर टी टी आई को अस्वीकृत किया गया है, उसका टी टी आई के सामान्य मूल्य को तैयार करने से कोई संबंध नहीं है। संबद्ध सौदे टी टी आई द्वारा उत्पादित वस्तुओं से संबंधित हैं और टी टी आई द्वारा भारत को निर्यातित किए गए हैं जिसका जनरल चैम्बर ऑफ कामर्स, ताईवान द्वारा जारी कमर्शियल इनवॉयस, पैकिंग लिस्ट आदि से सत्यापन किया जा सकता है।

141. घरेलू उद्योग संबद्ध सामग्री जिसका हाई स्पीड मशीनों में प्रयोग किया जाता है और लागत में उच्च उत्पादन नहीं करता है।

142. पाटनरोधी शुल्क को एक बेंचमार्क/संदर्भ कीमत के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि यह हाई ग्रेड ब्लैक टोनर के आयातों की अनुमति देगा जो कि याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित नहीं किया जाता।

143. जहां तक परिशिष्ट 3क में तकनीकी त्रुटियों का संबंध है, टी सी ओ ए ने 18 जनवरी, 2021 को सारणी का शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया है। सौदे में कोई अंतर नहीं है अंतर केवल कुल मात्रा में है। परिशिष्ट 3क में तकनीकी त्रुटि सारणी में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की परिशुद्धता को प्रभावित नहीं करती। त्रुटि जानबूझकर नहीं की गई थी।

144. डी जी टी आर समान मानदंड लागू नहीं करता जब यह “तथ्य पर उपलब्ध सूचना” का प्रयोग करने का निर्णय लेता है। टी सी ओ ए नोट करते हैं कि “इसके संबंधित उत्पादक एच जी टेक्नोलॉजीज कं०, लि० के सहित हंदन हांगगुआंग ओ ए टोनर कं०, लि० के लिए निर्यात कीमत” का प्रकटन में डी जी टी आर ने प्रकट किया है कि असंबंधित उत्पादक ने ई क्यू आर दायर नहीं किया था। अतः, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े अपूर्ण हैं। तथापि, डी जी टी आर अभी भी प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए बाकी आंकड़ों को स्वीकार कर रहा है।

145. यह कहना गलत है कि वर्तमान जांच में सभी आयातकों ने सहयोग नहीं किया है और उनके आंकड़े निर्धारित फार्मेट के अनुसार नहीं हैं क्योंकि सभी आंकड़े उनके द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्धारित फार्मेट में भली-भांति प्रस्तुत किए गए थे। इन आंकड़ों को डी जी टी आर द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है।

146. यह अनुरोध किया गया कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ सभी प्रकार के ब्लैक टोनर्स को एक वर्ग में इकट्ठा कर दिया है। इसके अलावा, आयातित ब्लैक टोनर विशेषताओं में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ब्लैक टोनर से भिन्न है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ब्लैक टोनर संबद्ध देशों से आयातित ब्लैक टोनर से गुणवत्ता में निम्न है और यह तथ्य भी कि उन वस्तुओं में जिसे डी आई उत्पादित करता है और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की कीमतों में भारी अंतर है।

147. यह कि घरेलू उद्योग ने सभी प्रकार के ब्लैक टोनर्स को एक वर्ग में संयुक्त कर दिया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग विभिन्न प्रकारों के ब्लैक टोनर्स का उत्पादन भी नहीं कर रहा है। इसीलिए प्राधिकारी को उचित और सही तुलना के लिए पी सी एन से पी सी एन वार विश्लेषण करना चाहिए। यह कि प्राधिकारी द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन गलत है क्योंकि निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य गलत हैं।

148. आगे यह निवेदन किया गया कि प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा० लि० को घरेलू उद्योग माना है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।

149. यह निवेदन किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में आयातकों द्वारा किए गए विस्तृत अनुरोधों पर विचार नहीं किया है।

150. यह कि घरेलू उद्योग किसी क्षति का सामना नहीं कर रहा है, विशेष रूप से संबद्ध देशों से।

प्राधिकारी द्वारा जांच

151. प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उठाए गए मुद्दों में से कई स्वरूप में सिर्फ पुनरावृत्ति हैं और उन पर पहले ही उचित रूप से विचार किया जा चुका है। अतिरिक्त निवेदनों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:-

- क. पी यू सी और समान वस्तु के संबंध में, यह पक्षकार पर निर्भर करता है, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद प्रकार या ग्रेड के बहिष्करण की मांग करता है, उनके द्वारा यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराना जरूरी है कि उत्पाद जिसके लिए बहिष्करण की मांग की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के साथ तकनीकी और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई आधार स्थापित नहीं किया है जिस पर बहिष्करण की मांग की गई है और ऐसे दावों के लिए कोई आधार या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए, प्राधिकारी बहिष्करण के लिए उनके दावों में कोई आधार नहीं पाते।

- ख. जहां तक बेंचमार्क/संदर्भ कीमत आधार को निर्धारित करने का संबंध है, प्राधिकारी ने नोट किया कि मामले के तथ्यात्मक आधार को ध्यान में रखते हुए, बेंचमार्क शुल्क के स्थान पर निश्चित शुल्क की सिफारिश करना उचित समझा गया।
- ग. जहां तक टी सी ए ओ के दावे का संबंध है, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की सावधानी से जांच की है। यह नोट किया गया कि यह निश्चित है कि क्षेत्र विशिष्टताओं में विशिष्ट प्रविष्टियों को इस तरीके में परिवर्तित किया गया है जिसका परिणाम टी सी ओ ए द्वारा उच्च निर्यात कीमत निर्धारण में हुआ। इस प्रकार के अभ्यास टी सी ओ ए के संपूर्ण डाटा को संदिग्ध बनाते हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक का दावा कि यह केवल तकनीकी त्रुटि थी, स्वीकार्य नहीं है।
- घ. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समान मानदंड लागू करने के संबंध में किए गए दावे का संबंध है, यह नोट किया गया कि हंदन हांगगुआंग ओ ए टोनर कं०, लि० द्वारा इसके सहयोगी उत्पादक अर्थात् एच जी टेक्नोलॉजीज कं०, लि० चीन जन.गण. ने प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि हंदन का संदर्भ प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पक्षकार जिसने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया उत्पादक से असंबंधित है।
- ड. हंदन हांगगुआंग ओ ए टोनर कं०, लि० द्वारा इसकी संबंधित उत्पादक अर्थात् एच जी टेक्नोलॉजीज कं०, लि० का नाम भी शामिल करने के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया गया कि एच जी टेक्नोलॉजीज कं०, लि० का नाम शुल्क तालिका में उत्पादक के रूप में है।
- च. जहां तक टी टी आई द्वारा किए गए दावे का संबंध है कि चीनी मूल के समझे गए सौदे वास्तव में टी टी आई द्वारा विनिर्मित किए गए हैं और ताईवानी मूल के हैं, यह नोट किया गया कि डी जी सिस्टम डाटा के साथ टी टी आई आंकड़ों की फिर से जांच की गई है और यह पाया गया कि डी जी सिस्टम डाटा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ये *** मी. टन चीनी मूल के हैं न कि ताईवानी मूल के। परिशिष्ट-2 और डी जी सिस्टम डाटा में रिपोर्ट की गई मात्राओं में उल्लेखनीय भिन्नता है।
- छ. जहां तक टी टी आई के डी जी सिस्टम डाटा को साझा करने के दावों का संबंध है, यह नोट किया गया कि टी टी आई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संदर्भ में बेमेल (डी जी सिस्टम रिकार्ड) की मात्रा के बारे में पहले ही टी टी आई की ओर से ई-मेल के जरिए किए गए अनुरोध के बाद टी टी आई को सूचित कर दी गई है।
- ज. जहां तक पी सी एन वार विश्लेषण के लिए अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया गया कि संबंधित पक्षवार ने प्रारंभिक जांच परिणामों की अपनी टिप्पणियों में भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उस चरण तक भी ऐसा अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि अत्यधिक विलंबित स्तर पर किए गए ऐसे अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
- झ. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं की खराब गुणवत्ता के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों के दावे का संबंध है, यह नोट किया गया कि संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर किसी उत्पादन बहिष्करण को अनुमति नहीं दी जा सकती।
- ञ. जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि मै० प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा० लि० को इस तथ्य के कारण घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, यह नोट किया गया कि ए डी नियमावली निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे उत्पादक को अनुमति देने का विवेकाधिकार देती है जो आयात करता है या आयात की मात्रा के आधार पर घरेलू उद्योग के रूप में पी यू सी के आयातक से संबंधित है। यह नोट किया गया कि मै० प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा० लि० ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का आयात किया था (संबद्ध देशों से आयातों का *** प्रतिशत और घरेलू उद्योग के उत्पादन का *** प्रतिशत)। इसलिए, आयातों की न्यूनतम मात्रा को ध्यान में रखने के बाद, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) की शर्तों में घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए एक पात्र उत्पादक के रूप में मै० प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा० लि० पर विचार करने का निर्णय लिया है।

ट. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन, सामान्य रूप में, पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से किसी भी प्रकार संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और प्रयोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। पाटनरोधी शुल्कों को लागू किया जाना संबद्ध वस्तुओं के भारतीय क्रयकर्ताओं को वंचित नहीं करेगा जिन्हें जारी प्रौद्योगिकीय और लागत प्रभावी नवीनताओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए भारत और वैश्विक बाजार में विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं तक पहुंच की जरूरत होगी। भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को सुनिश्चित करने से भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए एक सुदृढ़ और प्रभावी घरेलू विनिर्माण आधार का विकास होगा ताकि भारतीय प्रयोक्ता संबद्ध वस्तु के घरेलू साथ ही वैश्विक बाजार, दोनों से लाभ उठा सके।

153. यह माना गया है कि प्रतिकारी शुल्क को लागू किए जाने से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की लागतें प्रभावित हो सकती हैं। तथापि, प्रतिकारी उपायों को लागू किए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि प्रतिकारी शुल्क का उद्ग्रहण सब्सिडी प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित है। इसके विपरीत, प्रतिकारी उपायों को लागू किया जाना सब्सिडी द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त करेगा और घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकेगा और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

ठ. निष्कर्ष

154. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि:-

- क. संबद्ध देशों से भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद इसके सामान्य मूल्य से निम्न हैं।
- ख. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हुई है।
- ग. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण क्षति हुई है।

ड. सिफारिशें

155. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों संबंधी पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया। निर्धारित नियमावली की शर्तों में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों की शर्तों में जांच आरंभ और आयोजित की गई और ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन की स्थापना करते हुए, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए, प्राधिकारी यहां नीचे बताए गए स्वरूप और तरीके में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करना अनिवार्य समझते हैं।

156. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1) (ख) में अंतर्निहित उपबंधों की शर्तों में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी चीन जन. गण., मलेशिया और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर अनंतिम शुल्क लागू करने वाली केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लागू किए जाने के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष निश्चित पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. शीर्ष	एचएस कोड	वस्तुओं का विवरण*	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	a. हंदन हांगगुआंग ओ ए टोनर कं०, लि० b. एच जी टेक्नोलॉजीज कं०, लि०	1167	मी. टन	यू एस डॉलर
2	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्र. सं. 1 पर दिए गए अलावा कोई उत्पादक	1458	मी. टन	यू एस डॉलर
3	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जन. गण., मलेशिया और ताईवान के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	1458	मी. टन	यू एस डॉलर
4	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	कोई	1568	मी. टन	यू एस डॉलर
5	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	मलेशिया, चीन जन. गण., और ताईवान के अलावा कोई देश	मलेशिया	कोई	1568	मी. टन	यू एस डॉलर
6	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	ताईवान	ताईवान सहित कोई देश	कोई	159	मी. टन	यू एस डॉलर
7	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	ताईवान, चीन जन. गण. और मलेशिया के अलावा कोई देश	ताईवान	कोई	159	मी. टन	यू एस डॉलर

*पाउडर रूप में ब्लैक टोनर में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

- i. कलर टोनर
- ii. एमआईसीआर टोनर (चेकों में प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त विशेषीकृत टोनर)
- iii. प्रिंटिंग उपकरणों के मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर
- iv. कार्टेजिज में टोनर।
- v. द्रव रूप में टोनर।

157. उपर्युक्त के अधीन, दिनांक 18 जून, 2020 की अधिसूचना के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणामों की एतद द्वारा पुष्टि की जाती है।

ढ. आगे की प्रक्रिया

158. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न केंद्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th January, 2021

Case No. ADD-(OI) 05/2020

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Black Toner in powder form" originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan.

F. No. 6/6/2020-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") thereof.

1. M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/S Indian Toners and Developers Ltd (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for imposition of Anti-dumping Duty concerning imports of " Black Toner in powder form " (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC" or "Black Toner"), originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence, issued a public notice vide Notification No. 6/6/2020 - DGTR dated 10th February, 2020. published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would remove the alleged injury to the Domestic Industry.

3. In pursuant to the Rule 12 of the Rules, Authority issued its Preliminary Finding, vide Notification No 6/6/2020-DGTR, dated 18th June, 2020, recommending imposition of provisional Anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan. The provisional anti-dumping duty was imposed by Ministry of finance vide notification number 22/2020-Customs (ADD) dated 10th August, 2020.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

- a) The Authority notified the Embassies of the Subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- b) The Authority issued a public notice dated 10th February, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries and known importers/users as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.

- d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from their countries.
- f) The Authority sent Exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Hubei Far East, China PR
 - ii. Wuhan Point Role, China PR
 - iii. Handan Hangguang, China PR
 - iv. wuxi jiatieng, China PR
 - v. Dinglong, China PR
 - vi. Nanjing Teshine, China PR
 - vii. Comet, China PR
 - viii. Wuhan Techwin Toner and Developer Limited, China PR
 - ix. Jadi, Malaysia
 - x. TI, Taiwan
- g) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Vedica Computer Pvt. Ltd.
 - ii. Datalink industrial corporation
 - iii. Atul Automation Private Ltd
 - iv. Cartridgewala.com
 - v. Copytron Technology
 - vi. Indrayani Sales Pvt. Ltd.
 - vii. Best Mega international
 - viii. Sumanglam international private limited
 - ix. Rank office automation P Ltd.
 - x. Image Star Print Solutions Pvt Ltd
- h) The Authority, upon request, granted multiple extensions, to file Exporter Questionnaire Response (EQR). . The last date to file the questionnaire response was 10th June, 2020. However, while granting extension it was clearly stated the Authority reserved the right to grant interim relief to the domestic industry.
- i) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response:

China PR

- a Tianjin zhonghuan tcoa electronics co ltd
- b HG Technologies Co. Ltd
- c Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd

Taiwan

- a. Trend tone imagine Inc

j) In response, the following importers filed importer's questionnaire response/legal submissions.

- a. Indrayani sales Pvt. Ltd
- b. Alphabet imaging technologies LLP
- c. Indigo prints smart Pvt Ltd
- d. Datalink industries corporation
- e. Sumanglam international
- f. Sumanglam international Pvt.Ltd
- g. Royal ribbons & shells Pvt. Ltd
- h. Image star print solutions Pvt. Ltd

k) The following association have also filed injury submissions.

- a) China Culture & Office Equipment Association (CCOEA) (Exporters' Association)
- b) Computer media dealer association. (Importer's Association)

l) The Authority made available non-confidential version of the application as well as updated data to the interested parties on their request.

m) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

n) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

o) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 Months). The injury investigation period has, however, been considered as the period from April 2016 - March 2017, April 2017- March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.

p) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these Final Findings.

q) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

r) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Findings on the basis of the facts available.

s) Authority issued the Preliminary Findings on 18th June, 2020. As recorded in the Preliminary Finding, the Authority invited comments on the same and the relevant views of the interested

parties on the preliminary determination has been considered appropriately for the purpose of these Final Findings.

- t) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally through a digital video hearing held on 6th January, 2021. All the registered interested parties who had attended the oral hearing were also provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- u) Desk verification was carried out by the Authority to verify the information filed by the domestic industry and other interested parties. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these Final Findings.
- v) “****” In these Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w) In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 22nd January, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- x) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$= Rs. 71.22.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

- a) The product under consideration is Black Toner in powder form. Toner is used in laser printers, photocopiers, digital multifunction devices (MFD), etc. to form the printed text and images on the paper.
- b) The PUC is classified under the tariff custom classification 37079010. The PUC, however, has been also imported under the code 37079090. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
- c) The following Toners are not covered within the scope of the investigation:
 - i. Color Toner
 - ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)
 - iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment.
 - iv. Toner in Cartridges
 - v. Toner in liquid form

6. In its Preliminary Findings, the Authority provisionally held that subject goods being imported from subject countries and manufactured by domestic industry are like articles and accordingly provisional duties were recommended on all subject goods as per the PUC defined in the initiation. However, arguments have been placed by various interested parties on the scope of the product under consideration. Therefore, for the purpose of final determination the scope of PUC has been examined as under taking into account all material facts placed before the Authority:

Submissions made by the Domestic Industry

7. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

- a) The Product under Consideration in the present application is "Black Toner in powder form". It is used in laser printers, photocopiers, digital multifunction devices (MED), etc. to form the printed text and images on the paper.
- b) The following Toners are not covered in the scope of the investigation:

- i. Color Toner
 - ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)
 - iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment.
 - iv. Toner in Cartridges
 - v. Toner in liquid form
- c) The product under consideration is classified under Chapter Heading 37 of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 37079010. However, it has been noted from the import data that the subject goods were also imported under 37079090 HS code .
- d) There is no difference in product produced by the Applicants and that exported from the subject countries. Certain interested parties have claimed exclusion of certain grades of the subject goods from the product under consideration without specifying the grounds on which such exclusion has been sought or without providing any basis or evidences for such claims. Accordingly, the Domestic Industry submits that since no relevant information/evidence has been supplied by the concerned parties, their claims cannot be entertained at this stage of the investigations.
8. The Domestic Industry manufactures and sells all other products for which exclusion have been sought by the interested parties except the products already excluded in the initiation notification. The various products listed by the interested parties as not being produced or sold by the Domestic Industry are merely different in terms of the nomenclature on the basis of respective brands. The interested parties have failed to provide even a semblance of evidence to support their contention that the said products or products technically and commercially substitutable to such products are not being manufactured by the Domestic Industry. Further, the interested parties have failed to provide any technical specifications or prove any difference in end-use that may render the products liable for exclusion. The grounds of exclusion submitted by the interested parties are not only contrary to the facts on record but also against the settled jurisprudence available on the subject.
9. The interested parties have also claimed exclusion of certain grades on the ground of differences in quality and production process. The argument of quality difference is a bogus one as the products produced by the Domestic Industry are of the highest standards and found to be totally acceptable in the Indian market. Without prejudice, it is submitted that the production process and quality, in any case, are not relevant parameters for defining Product under Consideration in an anti-dumping duty investigation. The Hon'ble CESTAT in the case of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority clearly stated that as under:
- “5.....[T]he submissions that imported goods are manufactured through a different process and that the imported goods differ in quality also do not invalidate the findings. Process of manufacture is not a relevant factor under anti-dumping law. Quality difference is also not material. The imported goods and domestically produced goods have the same use and have been correctly held to be 'like article' by the Designated Authority. In these facts and circumstances the submissions made in these appeals have no merit. The appeals fail and are rejected.” [Emphasis Added]
10. Some of the interested parties have argued the need for adopting PCN methodology in the present investigation. In this regard, the Domestic Industry submits that the interested parties have failed to submit any evidence establishing that there is “significant” cost and price variation amongst various grades. The importers have relied upon an invoice of the Domestic Industry which shows 15-18% difference in the selling price of two variants. In this context, it may be noted that the selling price alone cannot be considered as sufficient reason to require the adoption of PCN methodology. It is submitted that while relying upon a single invoice of the Domestic Industry, such importers failed to consider the following critical factors which might justify need for adoption of a PCN methodology:
- a. Significant difference in cost of two grades;
 - b. Difference in selling prices of two variants on the basis of quantity (the lower priced goods are bought in larger quantity to the tune of 300% from the higher priced item);

c. The inventory cost of such variants (Fast moving items have lower storage/inventory cost and thus are always cheaper than slow moving/specialized variants).

11. There is no significant price or cost difference between the different variants of the Product under Consideration which would necessitate the adoption of the PCN-wise comparison.

Submissions made by other Interested Parties

12. The PUC as defined cover a wide range of *inter se* product types which vary significantly in terms of cost and price. To account for such differences in product types, PCN-wise comparison of types of PUC is very essential for the determination of dumping and injury margin in the present case. The types of PUC which are either not produced by the DI and or the types for which no direct substitutes are available should be excluded from the scope of PUC.

13. Black toner produced by the domestic industry is not produced using advance technology and is inferior in quality.

Examination by the Authority

14. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties with regard to the PUC related issues have been examined and addressed as under.

- a) It has been noted that certain interested parties have claimed exclusion of certain grades / types of the subject goods from the product under consideration without specifying the grounds on which such exclusion may be considered as well as without providing any basis or evidences for such claims. Therefore, the Authority does not find any merit in their claims for exclusion.
- b) With regard to the claim of the interested parties regarding exclusion of certain grades from the scope of the investigation on account of the difference in quality and production process, it is noted that difference in quality and production process are not the criterion for exclusion of any grade of the product. . The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries have the same end use. The Hon'ble CESTAT in the case of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority had held that the process of manufacture and quality are not relevant factors under anti-dumping law and had accordingly upheld the decision of the Designated Authority treating the imported goods and domestically produced goods having the same use as 'like article'.
- c) Some of the interested parties have requested to adopt the PCN methodology. The Authority notes that the interested parties have not provided evidences to show significant variation between the cost and prices among various grades / types. The PCN methodology is required only in cases where there are multiple grades and forms of the PUC/like article and there is a substantial cost and price difference between these grades and forms. Accordingly, after examining the contentions of various interested parties, it has been found appropriate not to carry out PCN wise analysis in the present investigation.
- d) From the information available on record, it has been noted that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably.
- e) The product under consideration (PUC) in the present investigation is "Black Toner in powder form".
- f) The following types of Toners are not covered within the scope of the investigation:
 - i. Color Toner
 - ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)
 - iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment.

iv. Toner in Cartridges

v. Toner in liquid form

- c) PUC is classifiable under Chapter Heading 37 of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 37079010. However, it is noted that the subject goods have been also imported under 37079090 HS code. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

15. The submissions made by the Domestic Industry during the course of the investigation with regard to scope of Domestic Industry & standing are as follows:

- a) The Applicants, M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/s Indian Toners and Developers Ltd., are producers of the subject goods in India. There is no other producer of the subject goods in India.
- b) The Applicants have not imported the product under consideration from subject countries or any exporter from the subject countries.
- c) The Applicants account for 100% of the total Indian production of PUC. The Applicants thus hold a major proportion of total Indian production of the PUC and accordingly, satisfy the requirement of standing and constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules.
- d) The Domestic Industry has duly filed the declaration with detailed information along with its Original Application, where it has been stated that the related party of M/s Pure Toners and Developers Pvt. Ltd. has imported very miniscule and insignificant quantities of the subject goods from China PR. The absolute discretion to consider a domestic producer as an eligible Domestic Industry or not in terms of Rule 2(b) rests with the Authority in accordance with the statutorily language of Rule 2(b) as well as the decision of the Hon'ble Madras High Court in the case of Nirma Ltd. vs. Union of India. Therefore, the contentions raised by the interested parties in this regard are devoid of any factual or legal basis, and thus, are to be rejected.
- e) The eligibility or ineligibility of Pure Toners in any case would not have any material difference in the facts of the present case. Admittedly, there are only two producers of the subject goods in the country. Since both the domestic producers are applicants in the present investigation, the arguments advanced by the interested parties shall not have any material effect on the case either way.
- f) Some Interested Parties have raised the contention that since there is a common director for two companies, viz. Pure Toners and M/s Copy Star India Ltd., the latter is legally controlled by the former. Such a claim does not have any implication in the present investigation as the relationship between Pure Toners and M/s Copy Star India Ltd. is not even in contention in the present investigation. It is reiterated that Pure Toners has already disclosed during its application that its related party has imported miniscule quantities of Product under Consideration. Therefore, these submissions of the interested parties are immaterial to the case as they do not pertain to the facts in issue. As a matter of fact, the two parties are not even related in the context of the Anti-dumping Rules, jurisprudence and the practices followed by the Authority. The applicant had mentioned the fact of miniscule imports by a party having a common director, only as a matter of abundant precaution and full and fair disclosure.
- g) The interested parties have claimed that there are other Indian producers engaged in production of the subject goods in India. However, interested parties have not adduced any evidence to show that any of the producers have manufactured or sold the subject goods in the domestic market during the POI. The Domestic Industry would like to point out the extent of misleading statements submitted by the parties. Some parties have mentioned that Sheishin Advanced Material Technologies in Hyderabad is another producer in India but the Domestic Industry has found that the said company is involved in mining and quarrying as per information available in public domain. Similarly, the parties had also listed Navran Advanced Nanotechnology Development International Private limited, Dhamandri,

Una, Himachal Pradesh, which manufactures and exports the chemical color toners, a product that has been excluded from the purview of the instant investigation from the stage of application itself.

Submission of other interested parties

16. The Petitioner, Pure Toners and Developers Ltd., admitted that a related company of them namely M/s copy star India ltd had imported “insignificant” volume of subject goods from subject country and this claim needs strict scrutiny.

17. Detailed examination of share of such imports in subject imports into India, production by the concerned petitioner and also demand in India should be made to ascertain the significance of such imports in a better way and an examination of such imports *qua* the total imports into India alone shall be misleading.

18. There are other Indian producers engaged in production of the subject goods in India.

Examination by the Authority

19. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

“‘domestic industry’ means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

20. It is noted that the application has been filed by M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/S Indian Toners and Developers Ltd. The Applicants have informed that currently there is no other producer of the product under consideration in India.

21. With regard to the claim of the interested parties that M/s Pure Toners cannot be considered as an eligible Domestic Industry in terms of Rule 2(b) as one of their related parties have imported the Product under Consideration from the subject country, the Authority notes that the domestic industry has provided details regarding the same in its application. The importer linked with M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd had imported miniscule quantities of subject goods from a subject country (***% of imports from subject countries and ***% of domestic industry’s production). Therefore, after taking into account the miniscule quantity of imports, the Authority has decided to consider M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd as an eligible producer to be considered as Domestic Industry in terms of Rule 2(b).

22. Some of the interested parties have alleged that there are other Indian producers like Sheishin Advanced Material Technologies, Navran Advanced Nanotechnology Development International Private limited, who are also engaged in production of the subject goods in India. In this context, it has been noted that none of the interested parties have provided evidences to substantiate their claim. Further, the domestic industry has provided evidences to show that Sheishin Advanced Material Technologies is engaged in mining and quarrying activity while Navran Advanced Nanotechnology Development International Private limited manufactures and exports Color Toner, which has been excluded from the scope of the subject goods ab-initio.

23. The Applicants account for 100% of the total Indian production and constitute a major proportion. It is noted that the Applicants have not imported the product under consideration and are not related to any importer in India or any exporter from the subject countries.

24. Accordingly, the Authority holds that the Applicants satisfy the standing requirement and constitute the Domestic Industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by the Domestic Industry

25. The Domestic Industry has argued that the China Culture & Office Equipment Association (CCOEA) cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of the anti-dumping Rules. It is clearly mentioned in Rule 2(c) that only that association can be considered as “interested party”, where the

majority of its members are producers, exporters or importers of “such an article”. Therefore, an association can be permitted to participate as an interested party in the investigations only and only if it is proved to the satisfaction of the Authority that the majority of the members of such association are either importers or producers of subject goods. It is pertinent to note that the majority test is to be applied in the context of total membership of the respective association.

26. CCOEA has not presented any evidence demonstrating that they fulfilled the precondition prescribed in Rule 2(c)(i) to be considered as an interested party. As per the limited information available in the public domain, majority members of CCOEA are not the producer / exporter of the product under consideration. Further, no proof or justification has been presented by such party to show its eligibility. In the absence of any such plea by the aforesaid association, their status as interested party and their contention cannot be accepted. It is pertinent to note that as per the website of the said association, they have more than 200 group members while they have filed authorization only on behalf of 6 of their members. This clearly shows that the said association is not eligible to be treated as an interested party in terms of Rules 2(c)(i) of the Anti-dumping Rules.

27. The Domestic Industry had intimated the Authority *vide* email dated 07.04.2020 inviting Authority’s attention to the fact that the NCV of the application has been sought by China Culture & Office Equipment Association (CCOEA) without satisfying the Authority regarding its eligibility as an interested party in accordance with Rule 2(c)(i).

28. The Domestic Industry reiterates that the said association has not even made any averment, let alone evidence, to prove that they qualify as an interested party in terms of the Rule cited above. They have not even bothered to submit complete lists of all their members so as to enable the Hon’ble Authority to ascertain their status as an interested party despite the fact that the responding association as well as their legal representatives are well aware of the requirement contained in the Anti-Dumping Rules. In view of the above, we request the Designated Authority not to take into account the submissions of the said association on record as they have failed to provide the list/information pertaining to all their members and fully justify their claim to be an interested party in terms of Rule 2(c)(i) of the Anti-dumping Rules.

29. The following interested parties (importers) have not provided the response as per the NCV format prescribed by the Authority. Accordingly, responses of these interested parties (importers) may not be allowed.

- a) M/s. Data Link Industrial Corporation
- b) M/s. Sumangalam International
- c) M/s. Image Star Print Solutions Pvt Ltd
- d) M/s. Alphabet Imaging Technologies LLP
- e) M/S. Royal Ribbons & Shells Pvt Ltd
- f) M/s. Indigo Prints Smart Pvt Ltd
- g) Sumangalam International Pvt Ltd

30. M/s Tianjin Synthetic Material Research Institute Co. Ltd. (China) has not filed their exporter's questionnaire response. Therefore, M/s Tianjin Synthetic Material Research Institute Co. Ltd. (China) cannot be considered as a cooperating exporter.

31. The responding producers/exporters have miserably failed to adhere to the provisions of Rule 7 read with the guidelines provided under various Trade Notices issued by the Authority. Further, the exporters have claimed excessive confidentiality without any proper justification. Accordingly, we request the Hon’ble Designated Authority to reject the response of the interested parties in the absence of a proper non-confidential version of their responses.

32. The interested parties have argued that the consideration of 9 months period as POI instead of 12 months is erroneous. It is submitted that there is nothing in law which prevents the Authority from having less than 12 months as POI. The Domestic Industry proposed 6 months as POI in view of the intensified

dumping by the subject countries in the said period. However, the Authority, in view to have a larger period for consideration of dumping, injury and causal link decided to consider 9 months period as POI.

33. It is also submitted that the present investigation was initiated on 10.02.2020. Therefore, the period ending on 31.12.2020 was the most recent period available to the Authority while initiating the investigation. The period preceding the said period is in any case covered in the injury investigation period. The submissions of the interested parties regarding the requirement to give reasoning for considering less than 12 months POI is also invalid in view of the fact that the amended law referred to by the interested parties came into existence after the initiation of the present investigation.

34. The interested parties have themselves admitted that there was a delay in filing complete questionnaire responses within the prescribed time and had sought extension of time for the same. Multiple extensions were requested by the interested parties and granted by the Authority to file the Exporters Questionnaire Responses.

35. It is pertinent to note that the Authority, in the extension notice dated 20.05.2020 had explicitly mentioned that “the Authority reserves the right to grant interim relief to the Domestic Industry”. However, no party objected to the same. The last extended date for filing the questionnaire response was 10.06.2020. The Preliminary Findings was issued by the Authority on 18.06.2020. It was not possible for the Authority to examine all questionnaire responses of the interested parties in the given window of 7 days. Therefore, the issuance of the Preliminary Findings without taking into account all the responses of the interested parties filed near the finally extended deadline was in accordance with the principles of fair play.

36. It has been explicitly noted in para 28 of the preliminary finding that no exporters questionnaire response has been received from Malaysia and Taiwan. Therefore, the submission of questionnaire response of Trend Tone, Taiwan appears to be at belated stage of the investigation. Accordingly, the Domestic Industry requests the Authority to not consider Trend Tone Imagine Inc., Taiwan (Exporter) as cooperative exporter and refuse any individual dumping margin to the said exporter.

37. Para 28 of the preliminary findings clearly mentions that discrepancies have been noticed in the questionnaire responses filed by the Chinese producers / exporters. Accordingly, the Domestic Industry requests the Authority to not consider the deficient responses filed by the Chinese exporters and reject them outright. The Domestic Industry submits that the said exporters cannot be allowed trawl the investigation by filing deficient questionnaire response and supplementing it with further data/information at later stage of the investigation.

38. Any questionnaire responses filed by the exporters from the subject countries after the expiry of the time prescribed for filing the response should not be considered by the Authority and such exporters should be treated as non-cooperative.

39. As regards the need for Preliminary Findings, the Domestic Industry submitted that the severity of the injury suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports had threatened the very survival of the Industry as can be seen from the serious injury reflected in the injury parameters, and therefore, required immediate measures by the Authority. The Domestic Industry has specifically requested for imposition of provisional duties with detailed reasoning in its application. Accordingly, the Authority has rightly proceeded with the investigation and issued the Preliminary Findings after thoroughly examining the information clearly depicting the grave injury suffered by the Domestic Industry due to the dumped imports of the subject goods, as this was a fit case for imposition of provisional duties.

40. The Domestic Industry apprehends that the exporters from the subject countries have included the excluded products (color toner, MICR toner etc.) in their responses to increase their landed value and export price. The Domestic Industry requested to verify the value and quantity of exports made by the exporters with the official transaction-wise import data sourced from DG Systems in order to ensure that the Domestic Industry is not deprived of the rightful protection on account of the incorrect reporting of the exporters. The said practice would be in line with the approach adopted by the Authority in during the anti-dumping Clear Float Glass (F. No. 6/15/2019-DGTR dated 20.8.2020) against Malaysia, wherein upon request, the Authority cross-checked the prices of the exporters with DG System data.

Submission of other interested parties

41. The Authority issued the Provisional Finding in the matter on 18.6.2020, which was later notified by the MOF, without considering the response timely filed by the above mentioned. The proceedings so far have been procedurally unfair to the opposing parties and the rights of the parties have been highly compromised as the provisional duties were recommended without considering the submissions by the opposing parties.
42. The performance of the DI was very stable and there was no emergency situation to recommend PF by ignoring opposing views and lack of merit of the present duties is further demonstrated in this submission.
43. The Preliminary Findings was issued in haste and the notification imposing interim duties also shows the arbitrariness.
44. The Preliminary findings fails to address the issue of the inability of the petitioners to fulfil the Indian demand by supplying the desired product.
45. POI should be twelve months. In case, the Authority is considering less or more period, it shall provide proper justification to show the justification and rationale behind such consideration and modification.
46. Any analysis of performance of the domestic industry for a short period does not reflect the real performance of the company.
47. The NCV of the petition violated Rule 7 by not providing sufficient information, but the Petition claimed confidentiality over a stated non-confidential declaration without any justification. The details on computation of normal value were deliberately not shared. Even indexed data and parameters for computation of Normal value including cost of electricity, labor, raw materials etc. nor has provided an indexed data or summarization. Further, the petitioners have not provided any information pertaining to utilities, depreciation, manufacturing overheads, salary and wages, administrative overheads etc. and information treated in confidence without being accompanied by non-confidential summary.

Examination by the Authority

48. With regard to the POI, it is noted that the domestic industry had proposed 6 months POI (April 2019 to September 2019). However, the Authority has extended the same to consider the recent and larger period till December 2019. The Authority considered 9 months POI considering the intensified dumping and the fact that the domestic industry belongs to the MSME sector.
49. On the issue of filing on deficient response, it is noted that the law firm representing importers referred in serial no (b) to (h) under para 4(j) has not filed complete response as per the importers' questionnaire response format prescribed by the Authority. It has been noted that the said importers have not filed complete transaction wise details of imports such as name of the supplier, invoice no, invoice date etc. As regards non-filing of the response by Tianjin Synthetic Material Research Institute Co. Ltd. (China), it is noted that Tianjin Synthetic has not filed the EQR. Therefore, said importers and Tianjin Synthetic Material Research Institute Co. Ltd. have been treated as non-cooperative.
50. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:
- "Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

51. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of submissions with each other through e-mails. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry have been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

52. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the authority has allowed the claim on confidentiality. Due to Covid 19 pandemic, the Authority directed all the interested parties to share the non-confidential version of submissions made by each interested party with other interested parties through e-mail.

53. With regard to the issue raised by the some interested parties in the context of the issuance of the preliminary findings, it is noted that the domestic industry had specifically requested for imposition of provisional duties with detailed reasoning in its application and that the Authority recommended imposition of provisional duty to grant interim relief to the domestic industry strictly on the merit of the case. It is further noted that while granting extensions for filing Questionnaire response, it was categorically mentioned in the notice of extension dated 20.05.2020 that the Authority reserved the right to grant interim relief to the Domestic Industry...

54. On the issue of the eligibility of CCOEA, the Authority notes that in terms of Rule 2(c)(i) only a business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of the subject goods can be considered as an interested party. The relevant excerpts of Rule 2(c)(i) are reproduced below.

“(c) “interested party” includes -

(i) *an exporter or a foreign producer or the importer of an article subject to investigation for being dumped in **India, or a trader or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such an article;....**”*

55. It is noted that CCOEA has filed the authorisation letters of only six producers while from the information available on their website it is clear that they have more than 200 members. However, despite the above, the Authority has appropriately dealt with the submissions made by CCOEA.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Submissions by the Domestic Industry

56. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

Normal Value for China PR

57. China PR has to be presumed to be a non-market economy country in terms of Para 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, as it has been treated as a non-market economy country for purposes of plethora of anti-dumping investigations by the Designated Authority or also by other competent authorities of WTO member countries during the preceding three years unless the concerned firms / producers / exporters are able to rebut the said presumption based on the criteria laid down in Para 8(3).

58. The significant extent of continued government intervention in certain important sectors of the Chinese economy warrants maintaining China's designation as a Non-Market Economy country. It is a known fact that China's economy is controlled by the state forces and there is a significant interference and control of the state machinery in the country's economy. The grant of Market Economy status under China's accession to the WTO is not automated but contingent upon China's compliance with the preconditions mentioned in the Accession Protocol.

59. The Authority has rejected the MET claim of the exporters even in the most recent findings [See Final Findings No. 14/14/2014-DGAD, dated 8th April, 2017 in the case of Vitriified Tiles from China] on the ground of government-controlled exchange rate.

60. In view of above, the normal value for Chinese firms should be determined as per the provisions of Para 7 of the Annexure I. In terms of Para I, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. However, domestic industry is not in a position to obtain any price details for the subject goods prevalent in any of the market economy third country as this information is not available in the public domain. The domestic industry has, therefore, determined the normal value for China PR on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. This methodology has been considered by the Designated Authority in the earlier investigations against China PR

Normal Value for Malaysia and Taiwan

61. The Applicant has claimed that they have tried to get the information of the domestic prices in Malaysia and Taiwan. However, the applicants were not in a position to obtain any price details for the subject goods in these countries as this information is not available in the public domain. Therefore, the domestic industry has determined the normal value for Malaysia and Taiwan on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.

Export Price for China PR, Malaysia and Taiwan

62. Export price from subject countries has been determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation as per transaction wise data collected from the DGCI&S. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

Dumping Margin for China PR, Malaysia and Taiwan

63. Considering the normal value and export price as discussed above, the dumping margin has been determined. The dumping margins for the subject countries are above de minimis levels and significant.

Miscellaneous submissions

Submissions by the Domestic Industry

64. Some of the interested parties have questioned the methodology adopted by the domestic industry with respect to the computation of normal value and export price. The apprehensions raised by the interested parties with regard to the computation of normal value and export price are baseless. The interested parties have failed to appreciate that there is limited information available with the applicants at the time of initiation of the investigation. However, once the responses are received from the concerned exporters, the same can be relied upon by the Authority while making the final determination. It is pertinent to mention here that prior to the filing of the present case, the domestic industry made attempts to get information with respect to the prevailing prices of the subject goods in the concerned countries. However, despite sincere attempts, domestic industry was not able to get the prices of the subject goods in the subject countries.

65. As regards the submissions of the interested parties that there is no dumping of the subject goods in India, the domestic industry submitted that the data, information and evidences submitted by it at earlier stages as well as the Preliminary Findings issued by the Authority clearly demonstrates that there has been aggressive and significantly high dumping of the subject goods by the subject countries in the domestic market. Therefore, the contentions of the interested parties in this regard are misplaced and contrary to the facts and evidences on record.

Submissions by other interested parties

66. The decision of the Authority to pre-empt the responses of the responding parties for the PF have seriously prejudiced the dumping margin determination also among various other preliminary determinations and it is submitted that the dumping margin of 20-40% determined in case of China PR is apparently inflated and does not reflect any factual position.

67. The dumping margin as determined in the PF does not cover any PCN analysis. Any dumping margin for the PUC at average level shall not reflect the correct position as there is significant differences in cost and price of inter se product types.

68. The petitioners have mentioned incorrect values of various expenses incurred to arrive at ex-port price at ex-factory level. Only the evidences of the ocean freight are enclosed in the petition as Annexure 17. All Other adjustments are done on an estimated basis, which are not correct and are totally unsupported by any evidence and therefore ought to be rejected. The adjusted ex-factory export value price of Black Toner from subject countries presented by the Petitioners in Annexure 10 of petition is therefore incorrect. Petitioner is required to disclose the information pertaining to basis of use of these estimations, to determine the export price, as this information is not confidential in nature. The importers claim that the determination of export price is not supported by any evidence in violation of Rule 5(2) and 5(3).

Examination by the Authority

Market Economy Status

69. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the Industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and I" Q/" the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 1 4(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with Subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures

(d) Once China has established under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy

conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

70. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that since neither of the responding producer(s) and the exporter(s) from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure of the Rules.

71. Accordingly, the normal value for all the producers / exporters from China PR have been determined as below.

Normal Value for China PR

72. At the stage of initiation, the Authority, after evaluating the options under Para 7 to Annexure I of the Rules, had constructed Normal Value as Applicants claimed that they were not in a position to obtain any price details for the subject goods prevalent in any of the market economy third country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. In absence of rebuttal of non-market economy presumption, it is considered appropriate to proceed in accordance with Para-7 of Annexure I to the Rules for determination of Normal Value for China PR. The Authority has, therefore, constructed Normal Value on the basis of cost of production in India based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses with reasonable profit.

Normal Value for Malaysia

73. On account of non-submission of exporter's questionnaire response from Malaysia, the Authority has construed Normal Value on the basis of the cost of production in India based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses with reasonable profit.

Normal Value for Taiwan

74. It is noted that producer namely Trend Tone imagine Inc. (TTI) has participated in the investigation from Taiwan. It has however been noted that TTI has reported only *** MT from its affiliated Chinese producer for export to India while as per DG System data, it has exported *** MT of subject goods to India of Chinese origin. Accordingly, in view of the is significant variation between the export quantities reported in Appendix 2 and DG System data, the Authority holds TTI as non-cooperative exporter.

75. In view of the above, the Authority has construed Normal Value on the basis of the cost of production in India based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses with reasonable profit for TTI and all other producers from Taiwan.

Export Price for Tianjin Zhonghuan TCOA Electronics Co Ltd (TCOA)

76. In the questionnaire response filed by TCOA, the Authority has noted that the quantity of certain transactions has been provided in appendix 3A in a manner that amounted to misrepresentation of facts. Accordingly, the Authority holds TCOA as non-cooperative exporter.

77. In view of the above, the Authority has determined the export price on the basis of facts available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

Export Price for Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. alongwith its related producer HG Technologies Co.,Ltd.

78. The Authority notes that Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. along with its related Producer namely HG Technologies Co., Ltd., China PR have responded and have provided the information to determine the Net Export Price (NEP). It was observed that Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd had

exported *** MT of the subject goods to India during the POI, out of which *** MT were material produced by them and *** MT were materials produced by its related producer HG Technologies Co., Ltd and balance *** MT were produced by an unrelated producer namely Tianjin Zhonghuan Tianjia Electronic Co., Ltd. Whereas both Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. along with its Related Producer HG Technologies Co., Ltd has filed the EQR, the unrelated producer had not filed the EQR. In view of the above, the Authority holds to consider the export price based on the exports of *** MT only. The expenses on account of Ocean freight, Inland freight and others have been reduced from their CFR/FOB export prices. The weighted average net ex-factory export price, after adjustment of the above expenses, is determined as US\$ *** per MT.

Export Price for Malaysia

79. Exporter's questionnaire response has not been filed by any producer/ exporter from Malaysia. Accordingly, the export price has been determined in respect of the subject countries on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

Dumping Margin

80. Considering the normal value as constructed above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject countries are as follows:

Country of origin and/or Export	Name of Producer	NV (USD/MT)	Ex-EP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM (%)	DM % range
China PR	Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
China PR	Any other producer	***	***	***	***	40-50
Malaysia	Any producer	***	***	***	***	50-60
Taiwan	Any producer	***	***	***	***	10-20

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Domestic Industry

81. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- The imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly throughout the injury investigation period. The imports of the subject goods from the subject countries increased from 2,203 MT in the base year to 2,969 MT during the POI (A) i.e., there is an increase of 35%. The imports of the subject goods from the subject countries have also increased significantly in the POI (A) as compared to the year 2017-18 and 2018-19.
- The share of imports of the subject goods from the subject countries in the total imports is very high to the tune of 85.44% in the POI. It clearly indicates that the imports of the subject goods from the subject countries have been able to capture a significant market share in the domestic market due to aggressive dumping by the exporters from the subject countries. The significant rate of increase of dumped imports into India also indicates the likelihood of substantially increased importation. Therefore, there is also a clear case of threat of material injury to the domestic industry.
- The share of the imports of the subject goods from the subject countries in relation to the total demand in India has increased significantly in the POI as compared to the previous years. This clearly indicates that the domestic industry is suffering injury due to excessive dumping of the subject goods from the subject countries. Further, the significant rate of increase of dumped imports into India also

indicates the likelihood of substantially increased importation and threat of material injury to the domestic industry.

- d) The share of imports of the subject goods from subject countries in relation to the production has increased significantly in the POI as compared to the preceding years. This clearly indicates that the domestic industry is suffering injury due to excessive dumping of the subject goods from the subject countries. The significant rate of increase of dumped imports into India also indicates the likelihood of substantially increased importation and threat of material injury to the domestic industry.
- e) The imports of the subject goods from subject countries have increased not only in absolute terms but have also increased in relation to total demand and domestic production.
- f) The average landed value of the subject countries declined significantly in the POI as compared to previous years, accordingly, selling price of the domestic industry also declined during the POI. On the contrary, the cost of the domestic industry has increased in the POI as compared to the base year as well as preceding years. The prices of the domestic industry have declined and have been suppressed on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries. Accordingly, along with the current material injury, threat of material injury is also imminent.
- g) The demand in the domestic market has increased substantially in the POI (A) as compared to the base year. However, market share of the domestic industry in demand has declined in the POI (A). This clearly establishes the fact that imports have caused injury to the domestic industry with respect to market share also.
- h) The domestic industry has increased its capacity on account of increase in demand. The demand has significantly increased in the POI (A). However, the capacity utilization of the domestic industry has declined in the POI (A) on account of increase in dumped imports.
- i) The productivity per employee of the domestic industry declined during the POI (A) as compared to 2017-18 and 2018-19 on account of low value dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- j) The domestic sale of the domestic industry has declined significantly in the POI (A) as compared to previous years despite significant increase in the demand. The domestic industry has suffered adversely on account of significant increase of the dumped imports.
- k) The number of employees engaged by the domestic industry has declined in the POI on account of the decline in production, sales and capacity utilization of the domestic industry due to low value dumped imports. This clearly shows the injurious impact of the dumped imports.
- l) The profitability of the domestic industry has been severely affected in the period of investigation due to intensified dumped imports of the subject goods from the subject countries. The low value dumped imports suppressed and depressed the domestic selling prices of the domestic industry. Accordingly, there is current injury as well as also a threat of material injury to the domestic industry.
- m) The return on capital employed (ROCE) of the domestic industry declined significantly in the POI as compared to the previous years. It clearly indicates that the domestic industry has suffered material injury on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- n) The inventory of the subject goods has increased significantly due to the increase in the low value dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- o) Both price undercutting and price underselling are positive and significant during the period of investigation. This clearly shows the injurious impact of the dumped imports on the domestic industry.
- p) The dumping margin from subject countries is significantly positive, and thus indicative of the aggressive pricing of the subject goods. The domestic industry has suffered injury on account of the same.
- q) The cash flow position of the domestic industry has significantly deteriorated in period of investigation as compared to the base year as well as the preceding years. The injury to the domestic industry on account of dumped imports is imminent.

- r) Decline in capacity utilization, production, domestic sales, domestic market share, profitability, ROCE, cash flow etc. clearly shows the injurious impact of the low value dumped imports of the subject goods from the subject countries. The only reason for the poor financial performance of the domestic industry is that it is not able to raise its prices due to the intensified dumped imports. It is a very unfortunate situation for the domestic industry that despite significant increase in demand, the financial performance continues to suffer.
- s) Future investment in the sector is also marred by the presence of dumped imports from subject countries. The decline in capacity utilization, production, domestic sales, domestic market share, profitability, ROCE, cash flow etc., clearly indicate that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is jeopardized by the dumped imports.
- t) As regards the submissions of the interested parties that the Annual Report of Indian Toners for the year 2018-19 indicate existence of other factors that may have impacted the performance of Domestic Industry, it is submitted that it is clearly mentioned in the Annual report that risk of imports of low-priced toners coming into the domestic market has always been there and acts as a major risk / threat capable of affecting the performance of the Industry. In any event, it may be noted that the POI is April 2019 to December 2019. Accordingly, the contents of the Annual Report for FY 2018-19 are not relevant and should not be considered by the Authority for the purpose of the present investigation.

Submission by other interested parties

82. The submissions made by the interested parties are as follows:

- a) The performance of the DI as recorded in the PF does not show any material injury and the claim is only of some deterioration in factums or parameters of injury which should be subjected to serious scrutiny and no material injury is apparent in such injury data as presented in the PF.
- b) The responding parties here are not in a position to file relevant and detailed comments on the injury aspect as even the basic volume information is not provided in the PF. In the absence of actual information on capacity, production, sales, demand, etc, no logical comments can be offered considering the fact that the DI was not offering complete range of products covered in the PUC and injury claimed cannot be linked to imports when substantial part of the imported were necessitated due to the inability of the petitioners to supply such types or a substitutable type.
- c) The imports increased in line with increase in demand but sales of the DI declined. The main causes of increase in imports have been that demand supply/quality issues, imports by related party of one of the petitioners and inclusion of unwarranted types in the scope of PUC.
- d) The declines in volume parameters of the DI when the demand in India increased cannot be linked to any dumping as alleged as the increase in imports were the result of lack of availability of various types of PUC in India.
- e) A related party of one of the petitioners also has been importing and selling the material and any injury on account of such imports should be noted as self-inflicted imports/injury and such injury should not be attributed to bonafide imports made by large number of users/importers.
- f) The petitioners have increased the capacity when the volume parameters were declining which shows that capacities were set up to cater to the export market and the trend of fall in capacity utilization in that context is highly misleading.
- g) The reasons such as foreign exchange fluctuations, increase in oil price and international freight owing to huge import of raw materials have been the cause of any concern for the petitioners and imports which was prevailing there always is not the cause of any injury.
- h) The landed price of imports did not impact profitability of the petitioners.
- i) The fall in core parameter like ROCE has no meaning since the profitability in domestic operation is compared with huge investments made for exports also.
- j) The parameters considered to examine the causal link aspect in the PF are not complete and proper.
- k) The Annual Report of India Toner for the year 2018-19 shows that more than 95% raw materials of the Company are imported which would make the company vulnerable to exchange rate fluctuation, increase in oil prices and international freight etc and other risks and any injury on account of such extraneous fact should not be linked to imports. The company admits that exports present a big opportunity for the company for increasing the capacity utilization and improving profitability which

makes it amply clear that the capacity set up by the company are clearly targeting exports as well and any impact of fixed cost etc on account of capacity set up to export should not be attributed as injury on account of imports.

- l) ITDL has been spending huge sums of money on R&D throughout alleged injury period and later as it is reaping profits.
- m) There was no price suppression or depression due to subject imports.
- n) It is also submitted that there is neither any material injury nor imminent injury caused due to imports from subject countries as the DI has pumped additional capital and their working capital also increased. It is also submitted that all the injury parameters are showing that the Domestic Industry is performing well.

Examination by the Authority

83. Para (iii) of Annexure 11 of the Rules states the following:

"(iii) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of the like article, and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles."

84. The Authority notes that:

- a) The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
- b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c) Cumulative assessment of the effects of imports is thus appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

85. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the product under consideration from the subject countries.

86. The submissions made by the Domestic Industry with regard to the injury assessment and causal link have been examined in light of various parameters in accordance with the Rule II of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, *"... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles"* In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

87. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources has been taken into consideration. The demand so assessed has increased in the POI and preceding years as compared to the base year.

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Imports from Subject Country	MT	2,203	2,569	2,617	2,226	2,969
Imports from Other Countries	MT	225	325	462	379	506
Total Imports	MT	2,428	2,894	3,080	2,606	3,474
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	91	91
Sales of Other Domestic Producers	MT	-	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-	-
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	91	91
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	117	114	114

88. As can be seen from the above table, the dumped imports from subject countries have increased during the POI as compared to base year and preceding years. The domestic sales of the domestic industry declined on account of increase in the dumped imports.

(b) Import Volumes from the subject countries

89. With regard to the volume of the imports, it is noted that there has been a significant increase in imports from the subject countries, both in absolute terms and relative terms to production or consumption in India.

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Imports from Subject Country	MT	2,203	2,569	2,617	2,226	2,969
Imports from Other Countries	MT	225	325	462	379	506
Total Imports	MT	2,428	2,894	3,080	2,606	3,474
Total PUC Production	MT	***	***	***	***	***
Demand of Subject goods in India	MT	***	***	***	***	***
Imports from Subject Country in relation to						
Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	111	157	157

Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	102	118	118

90. It is noted from the above table that imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms in the POI as compared to the base year and preceding year.

91. It is also noted that the imports of PUC from the subject countries, in relation to production and demand, have also increased in the POI as compared to the base year and preceding years.

(c) Market Share in demand

92. It is noted that the market share of the domestic industry has declined in the POI as compared to previous years. The Applicants has lost market share in POI despite increase in demand of the product under consideration.

Market share in demand	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Anl.)
Domestic Industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	93	79	79
Subject Countries	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	102	118	118

Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

93. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

(a) Price Undercutting

94. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries works out as follows:

i. Price Undercutting (Subject Countries)

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from Subject Countries	Rs/MT	3,58,173	3,41,697	3,49,364	3,19,506	3,19,506
Trend	Indexed	100	95	98	89	89
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91

Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	58	106	106
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

ii. Price Undercutting (China PR)

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from China PR	Rs/MT	3,70,695	3,40,101	3,42,287	3,15,030	3,15,030
Trend	Indexed	100	92	92	85	85
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	97	154	154
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iii. Price Undercutting (Taiwan)

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price from Taiwan	Rs/MT	3,57,766	3,48,658	3,75,237	3,60,797	3,60,797
Trend	Indexed	100	97	105	101	101
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	6	22	22
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%	0%-20%

iv. Price Undercutting (Malaysia)

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Landed price of Malaysia	Rs/MT	3,24,968	3,23,794	3,80,344	2,50,400	2,50,400
Trend	Indexed	100	100	117	77	77
Net selling price of Domestic Industry	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	-3	147	147
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20%-40%	0%-20%	(20)%-0%	41%-60%	41%-60%

95. From the aforesaid table, it can be observed that the imports from the subject countries are coming at prices significantly below the domestic selling price of the Applicants. Thus, price undercutting during the period of investigation is positive for the subject countries.

(b) Price Suppression and Depression

96. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI Annualised
Landed value - Subject Countries	Rs/MT	3,58,173	3,41,697	3,49,364	3,19,506	3,19,506
Trend	Indexed	100	95	98	89	89
Domestic selling price Rs/MT	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Cost Rs./MT	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	98	106	106

97. From the above table, it is noted that the imports from the subject countries were coming at prices lower than the cost of sales of the Domestic Industry in the POI. This has forced Domestic Industry to reduce its prices during POI, and therefore, resulted in significant decline in the profits. It is noted that the cost of sales (Rs/MT) has increased by 6% in POI as compared to base year, whereas the selling price of domestic industry has declined by 9% during the same period. Therefore, there is significant price depression and suppression on account of dumped imports.

Economic Parameters of the Domestic Industry

98. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

99. The injury parameters have been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

(a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

100. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI (Annualised)
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	111	111	111
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	107	86	86
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	91	91
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	97	78	78

101. The production, sales and capacity utilization of the Applicants have declined in POI (A) as compared to previous years. The same appears to be due to the significant volume of dumped imports coming from the subject countries.

(b) Profitability, return on investment and cash profits

102. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI Annualised
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	91	91
Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	117	114	114
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	91	91
Cost of Sales Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	98	106	106
Profit & Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	78	22	22
Profit & Loss	Rs./MT	***	***	***	***	***

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI Annualised
Trend	Indexed	100	108	71	25	25
Cash Profit	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	77	43	43
Return on Capital Employed (ROCE)	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	63	19	19

103. From the above table, it is noted that:

- a) In spite of continuous increase in demand of PUC, the Domestic Industry's profitability declined significantly due to following reasons:
 - The cost (Rs / MT) has increased by 6% in the POI as compared to the base year. The cost has increased by 15% in the POI as compared to 2017-18.
 - The domestic selling price declined by 9% in the POI as compared to the base year due to dumped imports.
 - The sales volume has declined in POI (A) by 9% in comparison to the base year on account of aggressive dumping despite significant increase in demand.
- b) Similarly, the cash profits of the Domestic Industry have reduced substantially from 108 indexed points in 2017-18 to 43 indexed points during the POI (A).
- c) Return on capital employed during POI has also reduced significantly to 19 indexed points in POI (A) from 102 indexed points in 2017-18.

(c) Employment, productivity and wages

104. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI Annualised
Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	95	86	86
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	115	118	118
Productivity / Employee	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	113	100	100
Wages/employee	Rs/ Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	121	137	137

105. It is noted that the employment of the Domestic Industry and productivity have declined in the POI whereas wages & wage/employee have registered increase.

(d) Inventories

106. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UoM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	POI Annualised
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	162	233	409	409

107. It is noted that the inventories with the Domestic Industry have increased to 409 indexed points during POI (A) as compared to 100 indexed points in 2016-17. Due to increased dumped imports, the market share of the Domestic Industry has come down in POI. The increased demand has been captured by dumped imports.

(e) Growth

108. It is noted that growth of the Domestic Industry with regard to market share in demand, production, sales and capacity utilization have declined significantly in the POI as compared to 2017-18 and 2018-19.

(f) Factors affecting domestic prices

109. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and the cost of production of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price suppression in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods significantly increased during the POI as compared to the previous years. Thus, it can be concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

Magnitude of Injury and Injury Margin

110. The Authority has determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined based on information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the Domestic Industry has been worked out and it has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin.

Country of origin and/or Export	Name of Producer	NIP (USD/MT)	Landed Value (USD/MT)	IM (USD/MT)	IM (%)	IM % range
China PR	Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
China PR	Any other producer	***	***	***	***	40-50
Malaysia	Any producer	***	***	***	***	40-50
Taiwan	Any producer	***	***	***	***	0-10

111. The injury margins from all the subject countries are positive and significantly high from China PR & Malaysia.

Examination by the Authority of miscellaneous submissions regarding injury

112. As regards the allegation of the interested parties that other factors are the cause of injury, the Authority notes that the Annual Report submitted by the interested parties to support their claim is for

financial year 2018-19 while the POI is April 2019 to December 2019. Accordingly, the same is misplaced. Further, it is also noted that there is no legal requirement that imports should be the only cause/reason of injury to seek protection under the anti-dumping law.

113. On the issue of demand-supply gap, it is noted that anti-dumping duties are imposed to not prohibit imports but it is merely a tool to ensure that the imports are coming into India at fair prices and imports can still come after the imposition of duties given that they are fairly priced. This is in line with the consistent practice of the Authority.

114. With regard to the request made by the Domestic Industry to verify the value and quantity of exports made by the exporters with the official transaction-wise import data sourced from DGCIS / DG Systems in order to ensure that the Domestic Industry is not deprived of the rightful protection on account of the incorrect reporting of the exporters, the Authority has verified the exports reported by the exporters in their response. The Authority noted that there are significant differences in the transactions reported by certain exporters and the same have been appropriately addressed at the relevant place in this document.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

115. As per the Rules, it is, inter alia, required to be examined whether any known factors other than the dumped imports at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

Volume and price of imports from third countries

116. The share of the imports from countries other than the subject countries is only 15% in the total imports during the POI. The import price from other countries is significantly higher as compared to the prices from the subject countries. Hence, imports from third countries are neither causing nor threatening to cause injury to the Domestic Industry.

Export Performance

117. The data for domestic operations only has been considered for the injury analysis.

Development of Technology

118. None of the interested parties have participated and furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

Performance of other products of the company

119. The domestic industry is majorly engaged in the production and sales of PUC. Only M/S Indian Toners and Developers Ltd has sold meagre quantity of other product. Accordingly, performance of other products is neither causing nor threatening to cause injury to the Domestic Industry.

Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic Producers

120. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party, to suggest that injury has been caused on account of competition between the foreign and the domestic producers.

Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

121. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period except a marginal decline in the POI (A) as compared to 2018-19. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic Industry is not due to contraction in demand.

I. Conclusion on Injury and Causal Link

122. The Authority notes the following:

- a) There is significant dumping of the subject goods in the Indian market, leading to availability of dumped imports in the market.

- b) The imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- c) The increased imports have taken away the market share of the domestic industry.
- d) The domestic industry has suffered a decline in its production, sales and capacity utilization, while its inventories have increased significantly.
- e) The imports have depressed/suppressed the prices of the domestic industry.
- f) The profits, cash profits and return on capital employed have declined significantly.
- g) The growth of the domestic industry in terms of both volume and profitability parameters is negative.
- h) The price underselling is positive and significant.

123. In view of the above, it is therefore, concluded that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

Submissions made by the domestic industry

124. TCOA has misrepresented the quantities of certain transactions in appendix 3A. Therefore, the domestic industry humbly requests the Hon'ble Authority to treat TCOA as non-cooperative and impose highest duty, which should necessarily be in the nature of a punitive measure. Further, the Authority may take any appropriate action deemed fit under the circumstances to discourage such practices by the co-called cooperating exporter.

125. The Authority has rightly proposed to treat TTI as non-cooperative. The domestic industry humbly requests the Authority to treat TTI as non-cooperative on the following grounds.

- i TTI has misrepresented/under-reported the quantities of subject goods purchased from related Chinese producer.
- ii The Authority has prescribed the exporters' questionnaire response format vide Trade Notice No. 05/2018 dated 28 February, 2018. It is categorically mentioned in section C of the trade notice that details of the purchased subject goods are required to be reported in Appendix 2. However, TTI has deliberately under-reported the details of the purchased subject goods in Appendix 2.
- iii Further, TTI has claimed in response to question no 6 of section A of its questionnaire response that none of its related parties are engaged in the production or sales of the subject goods during the POI. This is a clear misrepresentation of facts with a clear view to mislead the Authority and get a favorable result.
- iv In view of the misrepresentation of facts by TTI, the domestic industry humbly requests the Hon'ble Authority to treat TCOA as non-cooperative and impose highest duty, which should necessarily be in the nature of a punitive measure. Further, the Authority may take any appropriate action deemed fit under the circumstances to discourage such practices by the co-called cooperating exporter.
- v TTI has not completely reported the quantities of the subject goods purchased from its affiliated company based in China PR (subject country) for exports to India. Accordingly, it is clear that TTI is also a trader of the subject goods. Appendix 5 is required to be filed by a trader in terms of the Trade Notice No 05/2018. However, TTI has not filed the same as evidenced from the non-confidential version of its questionnaire response (page no 3 - Index). TTI has not filed its questionnaire response in the format prescribed by the Authority vide Trade Notice No. 05/2018 dated 28 February, 2018.

126. In view of the above facts, the domestic industry humbly requests the Authority to kindly treat TTI as non-cooperative and impose highest duty on it on this ground alone. Since the manipulation and misrepresentation has been done by TTI precisely to get a favourable outcome, the domestic industry humbly requests the Hon'ble Authority not only to treat TTI as non-cooperative but also to take any appropriate action deemed fit under the circumstances to discourage such practices by the so-called cooperating exporter.

127. TTI has not completely reported the quantities of the subject goods purchased from its affiliated company based in China PR (subject country) for exports to India. TTI has a related company, which is

engaged in the production and sales of the subject goods from the subject countries. However, its related company has not filed the questionnaire response making their entire response liable to be rejected outright.

128. The fundamental economic rationale, which compels investigating authorities across the world to insist upon full participation by all related parties is that such producers/exporters are considered as a “single supplier” from the anti-dumping perspective. It is also referred to as the “single economic entity” concept which is well recognized in literature and jurisprudence on the subject. The underlying idea is that while the transactions between related parties can be identified, it is practically impossible to understand or unravel the complex internal decision-making process on various economic and commercial strategies. It is, therefore, no longer an issue anywhere in the world that related parties have to cooperate fully to get an individual treatment available only to cooperating exporters.

129. The above approach is reflected in the practices and also in the prescribed questionnaire formats of various authorities. In order to substantiate our claim in this context, kind attention of the Authority is invited to the following points from the Indian prescribed questionnaire format (Trade Notice No 5/2018 dated 28 February, 2018):

- a. The questionnaire format is prescribed under the Rules and, therefore, it is mandatory for the exporters to file the same.
- b. There is no room for individual respondents to exercise its discretion. If the discretion is left to the exporters, it will lead to a situation where the power of the Authority will be usurped by the respondent. This will be a chaotic situation.
- c. Para 2 of the general instructions of the prescribed questionnaire also clearly asks the responding parties to file the questionnaire response of the related companies.
- d. The requirement to file the responses by all the related parties is further emphasized in paragraphs 8 & 9 of the very same prescribed questionnaire format.
- e. Further, para 4 of Section D of the prescribed exporter questionnaire clearly asks to provide the audited accounts of the related companies.

130. The above provisions of the prescribed questionnaire make it abundantly clear that in order to be considered as a cooperating exporter, the response of the related parties have to necessarily be filed in the prescribed questionnaire format. The information of the related companies is important so that the Authority can check the accuracy, adequacy and completeness of the information. It follows that the failure to file the questionnaire response by any of the related parties shall lead to the rejection of the entire response.

131. The Indian questionnaire format as well as the EC format make it mandatory for all the related parties to respond in order to get an individual dumping margin treatment. It is important to note that no discretion or leeway has been provided to the responding parties in this regard. A perusal of the instructions in the form of a prescribed format under the Rules as well as the EC questionnaire, also make it clear that the reference is to the countries under investigation as a whole i.e., the subject countries. This is not to say that the related producers situated in separate countries shall not be entitled to separate dumping margins but it is also abundantly clear that the same would be contingent upon their fully cooperating in the investigation by the Authority. Failure to do so shall invariably lead to rejection of the entire response.

132. The exporter should not be allowed to submit any fresh evidence or information at this stage of the investigation. Authority is also requested to reject the response filed by TTI and treat it as non-cooperative as its related producer / exporter based in China PR has not filed the questionnaire response in gross violation of the trade notice.

Submissions by other interested parties

133. The discussions on PUC and Like Article in the Disclosure fail to address the concerns raised by the importer here and we request the Authority consider them favourably.

134. The observation of the Authority on standing of the petitioners is provided in the Disclosure. However, we are not in a position to offer any meaningful comments on the same as the share of imports by a related party of one of the petitioners in subject imports etc. is all held confidential.

135. The increase in imports is on account of the inability of the petitioners to supply all types of black toners and also imports were made by a related trader of one of the petitioners. The increase in imports is, thus, neither indicative of any adverse effects on the petitioners nor it can be said that there is any threat from such imports. Such increases in imports were the result of factors other than any alleged dumped price offered by the exporters.

136. The facts disclosed on alleged injury do not show any material injury having been suffered by the domestic industry. The decline in market share of the petitioners should be seen in light of their inability to supply a wide range of black toners as has been enlisted by us.

137. We request the Authority to reach a conclusion that the case warrants no Anti-dumping as the claims of dumping and consequent injury does not stand substantiated.

138. The Authority needs to mention names of both the producers in the duty table as these are two different entities and both of them are producers.

139. DGTR has relied on DG System data and rejected the response of TTI, the Authority should have shared the DG System data with us. The rejection of complete response of TTI on a flimsy and hypothetical ground is a clear violation of Article 6.7 and Para 6 of Annex II of the Anti-dumping agreement.

140. The Authority has wrongly concluded the normal value for TTI. Further, it has been submitted that the transaction based on which TTI response has been rejected has no relevance in working out the normal value of TTI. The subject transactions relate to goods produced by TTI and exported to India by TTI, which may be verified from the commercial invoice, packing list etc. issued by the General Chamber of Commerce, Taiwan.

141. Domestic industry does not produce subject material which is used for high-speed machines and high in cost.

142. Anti-dumping should be fixed as a bench mark / reference price as this will permit imports of high-grade black toner, which is not manufactured by the petitioner.

143. As regards the technical errors in Appendix 3A, TCOA has submitted a corrigendum of the table on 18th January, 2021. There is no change in the transaction but only in total quantity. The technical error in the Appendix 3A does not affect the accuracy of the data reported in the table. The error was not an intentional error.

144. DGTR does not apply equal criteria when it decides to use “facts available information”. TCOA notes that in the disclosure of “Export Price for Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. along with its related producer HG Technologies Co., Ltd.” DGTR discloses that the unrelated producer had not filed the EQR. Thus, the data provided by the respondent are incomplete. However, DGTR still accepted rest of data provided by the respondent.

145. It is incorrect to state that all the importers have not cooperated in the present investigation and their data is not as per the prescribed format, as complete data had been duly submitted by them in the prescribed format within the stipulated time. Further, the same data is resubmitted as and when department required by the DGTR.

146. It is submitted that the Domestic Industry has clubbed all kinds of black toner in one category for purposes of present investigation. Moreover, imported black toner is different in specifications from the black toner produced by domestic Industry. Further, the black toner produced by domestic industry is not produced using advance technology and is inferior in quality to black toner imported from subject countries and also the fact that there is huge price difference in articles which DI produce and in the articles imported from subject countries.

147. That the Domestic Industry has combined all variants of Black Toner under one category. It is further submitted that the Domestic Industry is also not producing many variants of the Black Toner. Therefore, the Authority should have made PCN to PCN wise analysis for proper and fair comparison. That the dumping margin computed by the Authority is incorrect as export price and normal value are incorrect.

148. It is further submitted that the Authority has considered Pure Toners and Developers Private Limited as Domestic Industry despite the fact that they have imported the subject goods from subject countries.

149. It is submitted that the Authority has not considered the detailed submissions made by the importers in the disclosure statement.

150. That the Domestic Industry is not suffering any injury and in particular from subject countries.

Examination by the Authority

151. The Authority notes that many of the issues raised in the post-disclosure comments are mere reiteration in nature and already been dealt appropriately. Additional submissions have been analyzed as under:

- a) With regard to the PUC and like article, it is incumbent upon the party which seeks any exclusion of a product type or grade from the purview of product under consideration, to provide sufficient information to establish that the products for which exclusion is sought are technically and commercial not substitutable with the products manufactured by the domestic industry. None of the interested parties have specified any grounds on which such exclusion are sought and have also not provided any basis or evidences for such claims. Therefore, the Authority does not find any merit in their claims for exclusion.
- b) As regards fixing of anti-dumping duty on bench mark / reference price basis, the Authority notes that in view of the factual matrix of the case, it has been considered appropriate to recommend fixed duty instead of benchmark duty.
- c) With regards to the claim made by the TCAO, the Authority has carefully examined the data submitted by the exporter. It is noted that it is certain specific entries in the field characteristic has been changed in a manner which resulted in higher export price by TCOA. Such type of practices places entire data of TCOA under suspicion. In view of the above, the contention of the exporter that there was a mere technical error, is not acceptable.
- d) As regards claim made by the interested parties regarding application of equal criteria, it is noted that both Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. along with its related Producer namely HG Technologies Co., Ltd., China PR have filed the questionnaire response. The Authority notes that the reference to Handan is not relevant as the party who has not supplied the response is unrelated to the producer.
- e) With regard to the request made by Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd to also include name of this related Producer namely HG Technologies Co., Ltd., it is noted that the name of HG Technologies Co., Ltd in the duty table as a producer.
- f) As regards the claim made by TTI that the transactions considered of Chinese origin are in fact manufactured by TTI and are of Taiwanese origin, it is noted that the TTI data with the DG System data has again been cross-checked and it is found that the DG System data clearly mentions that these *** MT are of Chinese origin and not of Taiwanese origin. There is significant variation between the export quantities reported in Appendix 2 and DG System data.
- g) With regards the contention of TTI to share DG System data, it is noted that the quantum of mismatch (DG system record) w.r.t. data filed by the TTI is already intimated to TTI after the request made through email on behalf of the TTI.
- h) With regard to the request for PCN-wise analysis, it is noted that the concerned interested party had not raised this issue even in its comments to the preliminary findings. Further, none of the interested party had made such a request till that stage. The Authority notes that such a request at this extremely belated stage is not possible to accede to.
- i) With regard to the claim of some interested party regarding inferior quality of the subject goods manufactured by the domestic industry, it is noted that no product exclusion can be permitted on the ground of quality of the subject goods.
- j) With regard to the submission that Pure Toners and Developers Private Limited ought to have not been considered as Domestic Industry on account of the fact that they have imported the subject

goods from subject countries, it is noted that the AD Rules give discretion to the Designated Authority to permit a producer which imports or is related to the importer of PUC as domestic industry depending on the quantum of import. It is noted that the importer linked with M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd had imported miniscule quantities of subject goods from a subject country (**% of imports from subject countries and **% of domestic industry's production). Therefore, after taking into account the miniscule quantity of imports, the Authority has decided to consider M/S Pure Toners and Developers Pvt. Ltd as an eligible producer to be considered as Domestic Industry in terms of Rule 2(b).

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

152. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. Imposition of anti-dumping duties would not deprive the Indian buyers of subject goods who would need access to subject goods manufactured in India and also global market to take the maximum benefits of continued technological and cost-effective innovations. Ensuring a competitive market for producers of subject goods in India would develop a strong and effective domestic manufacturing base for subject goods in India so that Indian consumers can benefit both from the domestic as well as global market of the subject goods.

153. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties may affect the price of the subject goods from the subject countries. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSION

154. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value.
- b) The domestic industry has suffered material injury.
- c) Material injury has been caused by the dumped imports of the product under consideration from the subject countries.

M. RECOMMENDATIONS

155. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and causal links in terms of the Anti-dumping Rules laid down and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

156. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1)(b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of notification issued by the Central Government imposing provisional duty on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan.

Duty Table

S. No	HS Code	Description of Goods*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3707	Black Toner in Powder Form*	China PR	Any country including China PR	a) Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. b) HG Technologies Co., Ltd.	1167	MT	USD
2	3707	Black Toner in Powder Form*	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at serial number 1	1458	MT	USD
3	3707	Black Toner in Powder Form*	Any country other than China PR, Malaysia & Taiwan	China PR	Any	1458	MT	USD
4	3707	Black Toner in Powder Form*	Malaysia	Any country including Malaysia	Any	1568	MT	USD
5	3707	Black Toner in Powder Form*	Any country other than Malaysia, China PR & Taiwan	Malaysia	Any	1568	MT	USD
6	3707	Black Toner in Powder Form*	Taiwan	Any country including Taiwan	Any	159	MT	USD
7	3707	Black Toner in Powder Form*	Any country other than Taiwan, China PR & Malaysia	Taiwan	Any	159	MT	USD

**Black Toner in Powder Form excluding the following:*

- i. *Color Toner*
- ii. *MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)*
- iii. *Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment.*
- iv. *Toner in Cartridges*
- v. *Toner in liquid form*

157. Subject to above, the Preliminary Finding notified vide notification dated 18th June, 2020 is hereby confirmed.

N. FURTHER PROCEDURE

158. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B. B. SWAIN, Designated Authority